प्रकाशन संख्या 514

सत्यमेव जयते

बिहार विधान-सभा

लोक लेखा समिति

का

प्रतिवेदन संख्या 504

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग से संबंधित भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के अंकेक्षण प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2001–02 की कंडिका आपत्ति 3.1 (3.1.1 से 3.1.10) पर लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन।

दिनांक .... को सदन में उपस्थापित।

विषय–सूची

पृष्ठ

1. लोक लेखा समिति गठन वित्तीय वर्ष 2012–13 (पंचदश बिहार विधान–सभा).. .. क
2. लोक लेखा समिति की उप–समिति (2) गठन वर्ष 2012–13 .. .. ख
3. बिहार विधान–सभा सचिवालय के पदाधिकारी/कर्मचारीगण, प्रधान महालेखाकार कार्यालय एवं वित्त विभाग के पदाधिकारीगण .. .. ग
4. प्राक्कथन .. .. ङ.
5. प्रतिवेदन 1–24
6. परिशिष्ट 25–43

बिहार विधान–सभा सचिवालय

लोक लेखा समिति वित्तीय वर्ष 2012–13 (पंचदश बिहार विधान–सभा)

सभापति

1. श्री ललित कुमार यादव	स0वि0स0

सदस्यगण

1. डॉ0 अच्युतानन्द	स0वि0स0
2. श्री अनिरूद्ध प्रसाद यादव	स0वि0स0
3. श्री अशोक कुमार	स0वि0स0
4. श्री मंजीत कुमार सिंह	स0वि0स0
5. श्री अभिराम शर्मा	स0वि0स0
6. श्री अरूण शंकर प्रसाद	स0वि0स0
7. श्री विनोद नारायण झा	स0वि0स0
9. श्री विनोद नारायण झा	स0वि0स0
8. श्रीमती उषा सिन्हा	स0वि0स0
9. श्री कृष्णनन्दन यादव	स0वि0स0
10. श्री जावेद इकबाल अंसारी	स0वि0स0
11. श्री राणा गंगेश्वर सिंह	स0वि0स0
12. श्री नीरज कुमार	स0वि0प0
13. श्री (मो0) हारूण रशीद	स0वि0प0
14. श्री मंगल पाण्डेय	स0वि0प0

"ख"

बिहार विधान–सभा सचिवालय

लोक लेखा समिति की उप–समिति (2) का गठन वर्ष 2012–13

सभापति	
1. श्री ललित कुमार यादव	स0वि0स0
संयोजक	
2. श्री बिनोद नारायण झा	स0वि0स0
सदस्यगण	
3. श्री राणा गंगेश्वन सिंह	स0वि0स0
4. श्री अभिराम शर्मा	स0वि0स0

बिहार विधान–सभा सचिवालय

सभापति

श्री फूल झा	प्रभारी सचिव
श्री हरेराम मुखिया	प्रभारी संयुक्त सचिव
श्री चन्द्रभूषण पाठक	उप–सचिव
श्री रूप नारायण मिश्र	अवर–सचिव
श्री भूदेव राय	अवर–सचिव
श्री नन्द किशोर प्रसाद सिंह	प्रशाखा पदाधिकारी
श्री गणेश कुमार	प्रशाखा पदाधिकारी
श्रीमती अनुपमा प्रसाद	प्रशाखा पदाधिकारी
श्री उमा शंकर यादव	वरीय लिपिक
श्री राजीव रंजन –III	कनीय लिपिक
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह	कनीय लिपिक
श्री अरविन्द कुमार दास	कनीय लिपिक
श्री रंजय कुमार	कनीय लिपिक

प्रधान महालेखाकार कार्यालय

श्री परवेज आलम	उप महालेखाकार
श्री अतुल प्रकाश	उप महालेखाकार
श्री अनिल कुमार वर्मा	वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी
श्री अरविन्द कुमार	सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी

वित्त विभाग

श्री रामेश्वर सिंह	प्रधान सचिव
श्री अशोक प्रियदर्शी	उप–सचिव

प्राक्कथन

मैं, सभापति लोक लेखा समिति की हैसियत से पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग से संबंधित भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2001–02 (सिविल) की कंडिका आपत्तियों पर लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन संख्या 504 प्रस्तुत करता हूँ।

उक्त प्रतिवेदन दिनांक 22 फरवरी, 2013 की बैठक में सर्वसम्मति से इसे पारित किया गया है।

प्रतिवेदन तैयार करने के क्रम में प्रधान महालेखाकार कार्यालय एवं वित्त विभाग तथा सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के अपने अथक परिश्रम देकर समिति को जो सहयोग दिया है, वह अविस्मरणीय है। इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ।

समिति के माननीय सदस्यगणों ने जो अपना बहुमूल्य समय देकर प्रतिवेदन को तैयार करने में जो सहयोग प्रदान किया है, मैं उनका आभारी हूँ और इस कार्य हेतु मैं उन्हें अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ।

पटना :
दिनांक 22 फरवरी, 2013 (ई0)।

ललित कुमार यादव,
सभापति,
लोक लेखा समिति,
बिहार विधान–सभा, पटना।

सी0ए0जी0 के अंकेक्षण प्रतिवेदन (सि0) वर्ष 2001-02 की कंडिका आपति 3.1 पृ0 सं0 43-51 द्रष्टव्य।

3.1 मत्स्य पालन विकास

मुख्याकर्षण

मत्स्य पालन विकास से मत्स्य उत्पादन बढ़ाने एवं मछुआरों तथा मत्स्य पालकों के सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार लाने का विचार था। यह पाया गया कि 14 में से 6 योजनागत योजनाओं (केन्द्रीय : 2 ; राज्य : 4) का क्रियान्वयन नहीं हुआ था तथा मत्स्य एवं मत्स्य बीज के उत्पादन के लिए तालाब, हौज, मन, चौर इत्यादि के निर्धारित क्षेत्र का 11 से 30 प्रतिशत योजना के तहत शामिल नहीं किया गया था। अनुश्रवण के अभाव, वृहत् बचत, अपूर्ण योजनाओं पर भारी व्यय, इच्छुक मत्स्य पालकों को ऋण/अनुदान का भुगतान नहीं करने, निष्क्रिय कर्मियों पर अत्यधिक व्यय, मत्स्य विकास के लिए अनुसंधान के अभाव, मत्स्य बीज फार्म (115) तथा नर्सरी (604) के अक्रियाशील रहने, इत्यादि के कारण योजना का क्रियान्वयन दयनीय था। अतः मछुआरों एवं मत्स्य पालकों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार कर समग्र ग्रामीण विकास करने का लक्षित उद्देश्य अप्राप्त रहा।

मत्स्य विकास योजनाओं के तहत तालाब, हौज, मन तथा चौर के निर्धारित क्षेत्र का 11 से 30 प्रतिशत शामिल नहीं किया गया।

(कंडिका 3.1.4)

उपलब्ध निधि का 36 प्रतिशत (23.03 करोड़ रुपये) खर्च नहीं किया गया। परन्तु स्थापना व्यय कुल व्यय का 85 प्रतिशत (34.16 करोड़ रुपये) था।

(कंडिका 3.1.5 (क))

निदेशक, मत्स्य पालन ने 1.26 करोड़ रुपये से 2.07 करोड़ रुपये तक का अत्यधिक रोकड़ शेष अपने पास रखा।

(कंडिका 3.1.5 (ख))

राज्य में 115 हैचरी एवं 604 नर्सरी अक्रियाशील रहे।

(कंडिका 3.1.6)

16 अपूर्ण झील विकास योजनाओं पर 26 लाख रुपये का अनुत्पादक व्यय हुआ।

(कंडिका 3.1.7.1 (i))

वृहत् सतत् बचत (58 प्रतिशत), मत्स्य पालकों को ऋणों की नगण्य स्वीकृति, पर्यवेक्षण पदाधिकारियों द्वारा हौज/तालाबों के निरीक्षण का अभाव एवं लक्षित मत्स्य पालकों को प्रशिक्षण के अभाव के कारण मत्स्य पालक विकास अभिकरण (एफ.एफ.डी.ए.) योजना शुरू ही नहीं हो सकी।

(कंडिका 3.1.7.2 (i))

मत्स्य पालकों के आवास के निर्माण के लिए निकासी की गई 84.60 लाख रुपये में से 67.37 लाख रुपये अव्ययवहृत रही।

(कंडिका 3.1.7.4)

पदाधिकारियों के लिए प्रशिक्षण/प्रसार पाठ्यक्रम आयोजित नहीं किया गया। इस उद्देश्य के लिए निकासी की गई 4.00 लाख रुपये चालू खाते में पड़ी रही।

(कंडिका 3.1.7.5)

अनुदान संवितरित करने के लिए निकासी किए गए 91.00 लाख रुपये में से केवल 19.77 लाख रुपये ही संवितरित किए गए।

(कंडिका 3.1.7.6)

मत्स्य पालन अनुसंधान संस्थान, पटना पर 89.96 लाख रुपये खर्च हुआ, जहाँ कोई अनुसंधान कार्य नहीं हुआ।

(कंडिका 3.1.7.7)

मत्स्य पालन विकास कार्यों के लिए 294 मछुआरों, 24 मत्स्य प्रहरियों तथा 156 मत्स्य पालन विस्तार पर्यवेक्षकों की सेवाओं का उपयोग नहीं किया गया जिसके फलस्वरूप 1997–2002 के दौरान उनके वेतन एवं भत्ते पर 15.89 करोड़ रुपये का अत्यधिक निरर्थक व्यय हुआ।

(कंडिका 3.1.9)

3.1.1 भूमिका

मत्स्य पालन विकास में मत्स्य पालन के वैज्ञानिक तरीके को अपनाते हुए मत्स्य उत्पादन बढ़ाने की परिकल्पना की गई थी एवं उसके द्वारा रोजगार के अवसर का सृजन, उचित दर पर मत्स्य पालकों के बीच वितरित करने के लिए उन्नत मत्स्य बीज का उत्पादन तथा उन्हें मत्स्य पालन के वैज्ञानिक तरीके से संबंधित प्रशिक्षण देना था। भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संपोषित विभिन्न योजनाओं का उद्देश्य परंपरागत मछुआरों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति को सुधारना, कम हो गए एवं विलुप्त होनेवाले मत्स्य जाति को सुरक्षित करना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक रोजगार के अवसर को सृजित करना था। राज्य में 14 योजनागत योजनाओं (केन्द्र संपोषित : 7, राज्य क्षेत्र : 6, केन्द्र से सहायता प्राप्त परियोजना : 1) में से केवल 8 योजनाएँ ही क्रियान्वित की जा रही थी।

3.1.2 सांगठनिक ढ़ाँचा

आयुक्त–सह–सचिव, पशुपालन एवं मत्स्य पालन विभाग विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए समग्र रूप से उत्तरदायी थे। उन्हें निदेशक, मत्स्य पालन, जिला मत्स्य पालन अधिकारियों एवं मत्स्य विकास निगम से सहयोग किया जाता था।

3.1.3 लेखापरीक्षा विस्तार

चयनित कार्यालयों की नमूना जाँच की गई

निदेशक, मत्स्य पालन, पटना तथा 3 रेंज उप निदेशकों[1], 10 जिला मत्स्य पालन पदाधिकारियों[2] (33 प्रतिशत) एवं मत्स्य पालन अनुसंधान संस्थान, पटना के अभिलेखों

---

[1] *दरभंगा, पटना एवं सहरसा*

[2] *भागलपुर, दरभंगा, जहानाबाद, मधुबनी, मोतिहारी, नालंदा, पूर्णियाँ, सहरसा, समस्तीपुर तथा वैशाली*

की फरवरी तथा जून 2002 के बीच नमूना जाँच के माध्यम से लेखापरीक्षा द्वारा मत्स्य पालन के विकास के लिए 1997–2002 के दौरान योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। पाए गए मामले अनुवर्ती कंडिकाओं में वर्णित हैं।

3.1.4 *योजना एवं अंतःसंरचना का निर्माण*

मत्स्य पालन विकास के लिए निर्धारित क्षेत्र का 11 से 30 प्रतिशत शामिल नहीं था

राज्य में अंतःस्थलीय मत्स्य पालन संसाधन 95000 हेक्टेयर तालाब एवं हौज, 70000 हेक्टेयर जलाशय (जलाच्छादित) तथा 5000 हेक्टेयर मन्स[3] (गोखुर झील), दलदल तथा 35000 हेक्टेयर चौर[4] के अतिरिक्त 3200 किलोमीटर बारहमासी नदियों एवं नहरों के रूप में निर्धारित किया गया था (1980–1983), जहाँ मत्स्य पालन योजना को क्रियान्वित करना था। हाँलाकि बिहार के विभाजन (14 नवंबर 2000) के पश्चात हौज एवं तालाब का क्षेत्र 65000 हेक्टेयर रह गया तथा 115 मत्स्य बीज फार्म एवं 605 नर्सरी थे। इसके अतिरिक्त जलाशय क्षेत्र भी घटकर 70000 हेक्टेयर रह गया जहाँ कोई मत्स्य पालन विकास योजना जारी नहीं थी तथा बारहमासी नदियाँ जनवरी 1992 से ही पारंपरिक मछुयारों के लिए मुक्त मत्स्य ग्रहण क्षेत्र बनी हुई थी। इस योजना के तहत शामिल तालाब, हौज, मन्स तथा चौर के क्षेत्र निम्नवत थे :

(क्षेत्र लाख हेक्टेयर में)

वर्ष	आकलित क्षेत्र			योजना के तहत आच्छादित क्षेत्र			योजना के तहत अनाच्छादित क्षेत्र			कमी (प्रतिशत में)
	तालाब एवं टैंक	मन्स/चौर	योग	तालाब टैंक एवं चौर	मन्स	योग	तालाब एवं टैंक	मन्स	योग	
1997-1998	0.65	0.05/0.35	105	0.49	0.02	0.51	0.16	0.03	0.19	18
1998-1999	0.65	0.05/0.35	105	0.56	0.02	0.58	0.09	0.03	0.12	11
1999-2000	0.65	0.05/0.35	105	0.46	0.02	0.48	0.19	0.03	0.22	21
2000-2001	0.65	0.05/0.35	105	0.36	0.02	0.38	0.29	0.03	0.32	30
2001-2002	0.65	0.05/0.35	105	0.49	0.02	0.51	0.16	0.03	0.19	18

अतः तालाब, हौज, मन्स तथा चौर के निर्धारित क्षेत्र का 11 से 30 प्रतिशत मत्स्य एवं मत्स्य बीज के उत्पादन हेतु इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं था।

3.1.5 *वित्तीय लागत एवं व्यय*

निधि का आवंटन एवं व्यय निम्नवत था :

वर्ष	प्राक्कलित निधि			व्यय			बचत		
	योजना	गैर–योजना	योग	योजना	गैर–योजना	योग	योजना	गैर–योजना	कुल बचत
	(रुपये लाख में)								
1997-98	312.55	660.08	972.63	136.32	587.63	723.95	176.23 (56)	72.45 (11)	248.68 (26)
1998-99	348.49	880.43	1228.92	89.52	567.05	656.57	258.97 (74)	313.38 (36)	572.35 (47)
1999-2000	302.69	1078.71	1381.40	119.50	733.87	853.37	183.19 (61)	344.84 (32)	528.03 (38)
2000-01	308.10	1144.76	1452.86	81.66	890.25	971.91	226.44 (73)	254.51 (22)	480.95 (33)
2001-02	354.62	928.43	1283.05	172.38	637.38	809.76	182.24 (51)	291.05 (31)	473.29 (37)
योग	**1626.45**	**4692.41**	**6318.86**	**599.38**	**3416.18**	**4015.56**	**1027.07 (63)**	**1276.23 (27)**	**2303.30 (36)**

(कोष्ठक के अंक प्रतिशत के द्योतक है।)

---

[3] *"मन्स" (गोखुर झील) गहरा बारहमासी जल समूह होता है, जो मुख्य नदी से उसके विभ्रमण प्रक्रिया के दौरान अलग हो जाता है।*

[4] *"चौर" वह दलदली क्षेत्र होता है जो मानसून के महीनों में जलमग्न हो जाता है तथा कृषि कार्य में जिसका उपयोग नहीं किया जाता है।*

लेखापरीक्षा संवीक्षा से निम्नलिखित प्रकट हुआ :

कुल निधि का 36 प्रतिशत व्यय नहीं किया गया

स्थापना पर अत्यधिक व्यय

(क) वर्ष 1997–2000 के दौरान कुल प्रदान की गई निधि का 36 प्रतिशत (23.03 करोड़ रुपये) व्यय नहीं किया गया। इसमें से 16.26 करोड़ रुपये योजना निधि का था। इनमें से 10.27 करोड़ रुपये (63 प्रतिशत) योजना कटौती या 6 योजनाओं[5] की अस्वीकृति के कारण व्यय नहीं किए गए। 56.77 लाख रुपये की केंद्रीय निधि अव्यवहृत रही। यह भी पाया गया कि वर्ष 1997–2002 के दौरान 40.16 करोड़ रुपये के कुल व्यय का 85 प्रतिशत (34.16 करोड़ रुपये) तक गैर योजना व्यय (स्थापना) था।

अत्यधिक रोकड़ शेष का अवरोधन

(ख) निदेशक मत्स्य पालन ने बिना तात्कालिक आवश्यकता के भारी राशि की निकासी की। परिणामतः प्रत्येक वर्ष 1.26 करोड़ रुपये से 2.07 करोड़ रुपये तक का अत्यधिक रोकड़ शेष अवरोधित रहा जिससे दुर्विनियोजन का खतरा था।

सावधि जमा पर अर्जित 28.87 लाख रुपये का ब्याज का लेखाकरण नहीं तथा 30 लाख रुपये का व्यय समर्थित नहीं

निदेशक ने मन्स मत्स्य पालन विकास के लिए मार्च 1997 में 1 करोड़ रुपये की निकासी की। इसमें से 80 लाख रुपये मई 1997 में सावधि जमा में निवेश किया। 30 लाख रुपये का सावधिक जमा भुना लिया गया (1998–99 तथा 2000–01) तथा उसे मन्स विकास पर खर्च किया गया। परन्तु कोई अभिश्रव प्रस्तुत नहीं किया गया। मई 2002 तक सावधि जमा में 50 लाख रुपये निवेषित रहा। सावधिक जमा से 28.99 लाख रुपये का ब्याज अर्जित हुआ लेकिन वह रोकड़ बही में प्रतिबिम्बित नहीं हुआ था।

(ग) बैंक खाता एवं रोकड़ बही के बीच 11.49 लाख रुपये का अंतर था जिसके दुर्विनियोजन/धोखाधड़ी के खतरे की संभावना थी।

3.1.6 मत्स्य एवं मत्स्य बीज का उत्पादन

नवम् पंचवर्षीय योजना (1997–2002) के प्रारंभ में पुनर्गठित बिहार में सभी जल स्रोतों से वार्षिक मत्स्य उत्पादन 1.41 लाख टन था जिसे योजना अवधि के अंत तक बढ़ाकर 3.50 लाख टन करना प्रस्तावित था। इसी प्रकार उत्तम मत्स्य बीज का उत्पादन 6000 लाख से बढ़ाकर 8000 लाख करना प्रस्तावित था।

मत्स्य एवं मत्स्य बीज के उत्पादन का लक्ष्य पूरी तरह प्राप्त नहीं हुआ

भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धि निम्नवत थे :

वर्ष	बिहार में मत्स्य बीज का उत्पादन		बिहार में मत्स्य उत्पादन	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
	(लाख में)		(लाख में)	
1997-1998	3490	2745 (79)	1.71	1.41 (82)
1998-1999	3420	2604 (76)	1.71	1.58 (92)
1999-2000	3370	2512 (75)	1.90	1.70 (89)
2000-2001	3497	2813 (80)	2.10	1.78(85)
2001-2002	3575	3300 (92)	2.50	2.40 (92)
योग	**17352**	**13974 (81)**	**9.92**	**8.87 (89)**

(कोष्ठक के अंक प्रतिशत को दर्शाते है।)

नदियों का जलीय–जैविक सर्वेक्षण नहीं किया गया

किसी भी वर्ष में लक्ष्य पूरी तरह प्राप्त नहीं किया गया। संयुक्त मत्स्य पालन के लिए जलीय–जैविक सर्वेक्षण विकास के लिए उपलब्ध तटीय मत्स्य पालन की कोटि को निर्धारित करने हेतु आवश्यक होने के बावजूद भी नहीं किया गया।

सभी सरकारी हैचरी एवं नर्सरी अकार्यशील रहे

सभी 115 मत्स्य बीज फार्म तथा 604 नर्सरी जिन पर 14.73 लाख रुपये का रख–रखाव व्यय था, अकार्यशील रहे। मत्स्य बीज की आवश्यकता मत्स्य पालकों के स्व–प्रयास तथा निजी क्षेत्र के 14 मत्स्य बीज फार्म के द्वारा पूरी की गई।

---

[5] *2 केंद्रीय योजनागत योजनाएँ ; मत्स्य आँकड़े का विकास एवं मत्स्य विपणन का सुदृढ़ीकरण; 4 राज्य योजनागत योजनाएँ ; जलाशय का विकास ; मत्स्य विपणन योजना ; मत्स्य पालन निदेशालय का नियमन तथा मत्स्य पालकों को अनुदान एवं आवश्यकताओं की आपूर्त्ति।*

3.1.7 मत्स्य पालन विकास योजनाओं का प्रदर्शन

14 योजनागत योजनाओं में से 6 (केन्द्रीय : 2 तथा राज्य : 4)[6] क्रियान्वित नहीं हुई। शेष 8 योजनाओं का प्रदर्शन अनुवर्ती उप–कंडिकाओं में वर्णित है।

3.1.7.1 'मन्स' मत्स्य पालन का विकास

समग्र ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करने की योजना

5 जिलों[7] में निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से अंतःस्थलीय मत्स्य उत्पादन बढ़ाने, भू–उत्पादकता बढ़ाने, पारिस्थितिक असुरक्षित क्षेत्रों को सुरक्षित करने, रोजगार सृजित करने, समाज के कमजोर वर्गों की आर्थिक स्थिति को सुधारने तथा ग्रामीण विकास को तीव्र करने के लिए मई 1992 में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजना जून 1999 तक पूरी करने के लिए (दिसंबर 2000 तक विस्तारित) लागू की गई। इस परियोजना में झील विकास, प्रोत्साहन सेवा, मत्स्य पालक विकास अभिकरण (एफ.एफ.डी.ए.) के सुदृढ़ीकरण एवं प्रशिक्षण के लिए गैर सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) तथा राज्य परियोजना इकाई शामिल थी।

आवंटन एवं व्यय (दिसंबर 2000 तक) निम्नवत था :

(लाख रुपये में)

घटक	परियोजना आवंटन	व्यय
झील विकास (1394 हेक्टेयर)	239.39	92.79
एन. जी. ओ. सहित प्रोत्साहन सेवा	186.42	21.51
कर्मचारी को प्रशिक्षण	9.49	0.09
एफ. एफ. डी. ए. का सुदृढ़ीकरण	76.71	39.89
राज्य परियोजना इकाई	44.10	70.46
योग	556.11	224.74

संवीक्षा से निम्नलिखित तथ्य प्रकट हुआ :

अपूर्ण योजनाओं पर निष्फल व्यय

(i) वर्ष 1996–97 के दौरान ली गई 23 झील विकास योजनाओं (1394 हेक्टेयर) में से मार्च 2000 तक 67 लाख रुपये व्यय पर केवल 7 (504 हेक्टेयर : 30 प्रतिशत) ही पूरी हुई थी। 26 लाख रुपये के सन्निहित व्यय वाली शेष 16 योजनाएँ (890 हेक्टेयर) अपूर्ण रहीं। परिणामतः इन झीलों को कम आरक्षित मूल्य पर मत्स्य पालकों को बंदोबस्त किया गया तथा अपूर्ण योजनाओं पर हुआ व्यय अंशतः निष्फल रहा।

सहायता सेवा पर अल्प व्यय

(ii) सहायता सेवा के लिए विनिहित (186.42 लाख रुपये) राशि, जिसमें मत्स्य बीज, नाव एवं जाल के क्रय के लिए तथा नर्सरी तालाब के निर्माण के लिए मत्स्य पालकों को ऋण एवं मछुआरों में जागरूकता लाने एवं उन्हें तकनीकी प्रशिक्षण देने के लिए एन.जी.ओ. को सहायता शामिल थी, का केवल 12 प्रतिशत (21.51 लाख रुपये) 7 मछुआरा सहयोग समितियों के लाभ के लिए खर्च किया गया।

कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर नगण्य व्यय

(iii) तालाब विकास में शामिल कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए विनिहित राशि का 1 प्रतिशत भी खर्च नहीं किया गया।

स्थापना पर अत्यधिक व्यय

(iv) मुख्यालय में 3 वाहनों (1 एम्बेसडर कार एवं 2 स्टेशन वैगन) के रख–रखाव एवं खरीद के कारण राज्य परियोजना इकाई के स्थापना खर्च पर मानक के विरूद्ध

---

[6] *केन्द्रीय योजनागत योजनाएँ : मत्स्य आँकड़े का विकास, मत्स्य विपणन का सुदृढ़ीकरण*
राज्य योजनागत योजनाएँ : जलाशय का विकास, मत्स्य विपणन योजना, मत्स्य पालन निदेशालय का पुनर्गठन, मत्स्य पालकों को अनुदान एवं आवश्यकताओं की आपूर्त्ति

[7] *बेतिया, बेगुसराय, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर एवं समस्तीपुर*

26.36 लाख रुपये अधिक व्यय किये गये थे। यह पाया गया कि इन वाहनों का उपयोग अन्य प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए मंत्रियों एवं उच्चाधिकारियों द्वारा किया गया।

3.1.7.2 मत्स्य पालक विकास अभिकरण (एफ.एफ.डी.ए.) का विकास

एफ.एफ.डी.ए. ने ग्रामीण आबादी की सामाजिक–आर्थिक स्थिति को सुधारने हेतु समग्र मत्स्य पालन विकास की परिकल्पना की थी

ग्रामीण रोजगार सृजित करने, मत्स्य विपणन के लिए अंतः संरचना का निर्माण करने तथा अतिरिक्त पोषक आहार पैदा करने इत्यादि के लिए सभी विद्यमान ग्रामीण हौज एवं तालाबों को मत्स्य पालन के अंतर्गत लाने तथा समाज के कमजोर वर्गों से चयनित मत्स्य पालकों को जलक्षेत्र पट्टे पर देने हेतु भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित मत्स्य पालक विकास अभिकरण योजना वर्ष 1973–74 में आरंभ की गई।

आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992–97) अवधि के दौरान योजना का पूरा स्थापना लागत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता था जबकि भारत सरकार द्वारा विभिन्न विकास कार्यों[8] पर 10 से 50 प्रतिशत की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। योजना के अंत तक पुनर्गठित बिहार के 37 में से 33 जिले इस कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तरोत्तर शामिल हुए। निधि का प्रावधान एवं व्यय निम्नवत थे :

अत्यधिक सतत बचत से योजना का क्रियान्वयन बुरी तरह प्रभावित हुआ

(रुपये लाख में)

वर्ष	विभाजित बिहार के लिए निधि का प्रावधान	व्यय	बचत	बचत की प्रतिशतता
1997-1998	155.95	90.22	65.73	42
1998-1999	213.20	67.03	146.17	69
1999-2000	160.02	87.53	72.49	45
2000-2001	256.70	70.69	186.01	72
2001-2002	188.00	91.61	96.39	51
योग	**973.87**	**407.08**	**566.79**	**58**

योजनाओं की अस्वीकृति, अनुदान का भुगतान नहीं करने एवं मत्स्य पालकों को समुचित सांगठनिक प्रशिक्षण नहीं देने के कारण 58 प्रतिशत (5.67 करोड़ रुपये) की अधिक बचत से योजना का क्रियान्वयन बुरी तरह प्रभावित हुआ।

(ii) 1997–2002 के दौरान हौज एवं तालाबों की सुधार/निर्माण के लिए मत्स्य पालकों को बैंक ऋण एवं अनुदान की स्वीकृति/वितरण निम्नवत था :

---

[8] नए हौज एवं तालाबों का निर्माण (अ.ज.जा. को 20 प्रतिशत एवं 25 प्रतिशत), हौज एवं तालाब का सुधान/पुनरूद्धार, प्रथम वर्ष निवेश (मत्स्य बीज, उर्वरक, खाद एवं इ.यू.एस.मत्स्य रोगों से निवारक उपाय) (अ.जा./अ.ज.जा. को 20 प्रतिशत एवं 25 प्रतिशत), मीठा जल मत्स्य बीज हैचरी (10 प्रतिशत), मत्स्य पालकों का प्रशिक्षण (प्रत्येक को 50 रुपये), वाहनों का क्रय (50 प्रतिशत), राज्य स्तर पर प्रयोगशाला की स्थापना (38 लाख रुपये), मत्स्य/झींगा बीज का परिवहन (1000 फ्राई के लिए 20 रुपये), समेकित मत्स्य पालन (अ.जा./अज.जा. को 20 प्रतिशत एवं 25 प्रतिशत), वातक/पंप (25 प्रतिशत)।

वर्ष	बैंक को दिए गए आवेदन	आच्छादित करने योग्य जल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	प्रस्तावित राशि (लाख रुपये में)	बैंक द्वारा स्वीकृत आवेदन (संख्या में)	आच्छादित जल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	खर्च की गई राशि (लाख रुपये में)	भुगतान की गई अनुदान की राशि (लाख रुपये में)
1997-1998	463	265.62	310.49	80	45.70	34.19	नगण्य
1998-1999	395	279.41	273.83	29	21.63	13.49	3.48
1999-2000	141	110.19	116.63	1	0.17	0.23	6.73
2000-2001	116	80.43	142.06	4	3.17	6.68	नगण्य
2001-2002	138	107.52	165.86	7	5.66	4.99	नगण्य
योग	1253	843.17	1008.87	121	76.33	59.58	10.21

नगण्य संख्या में इच्छुक मत्स्य पालकों को ऋण स्वीकृत

बैंकों द्वारा हौज एवं तालाबों के सुधार/निर्माण हेतु ऋण के लिए आवेदनों (1253) का केवल 10 प्रतिशत (121) ही स्वीकृत किया गया जिसमें लक्षित जल क्षेत्र (843.17 हेक्टेयर) का केवल 9 प्रतिशत (76.33 हेक्टेयर) शामिल था। परिणामतः मत्स्य पालकों द्वारा ऋण (10.09 करोड़ रुपये) के लिए दिए गए आवेदन का केवल 6 प्रतिशत (59.58 लाख रुपये) का ही वितरण किया गया। यह संबंधित जिलाधिकारी द्वारा शीर्षित एफ.एफ.डी.ए. की विफलता दर्शाता था।

एफ. ई. एस. एवं एफ. ई. ओ. ने हौज एवं तालाबों का आवधिक निरीक्षण नहीं किया

(iii) यद्यपि मत्स्य पालकों को पथ प्रदर्शन करने तथा उन्हें तकनीकी पर्यवेक्षण प्रदान करने हेतु एफ.एफ.डी.ए. में पदस्थापित मत्स्य पालन विस्तार पर्यवेक्षकों एवं मत्स्य पालन विस्तार पदाधिकारियों से हौज एवं तालाबों का आवधिक निरीक्षण किया जाना अपेक्षित था, नमूना जाँचित जिलों में ऐसे निरीक्षण का कोई प्रमाण नहीं था।

न तो मत्स्य विपणन अंतः संरचना विकसित की गई, न ही कार्यक्रम के असर का मूल्यांकन किया गया

(iv) यद्यपि मत्स्य विपणन के लिए प्रत्येक जिला मुख्यालय में मत्स्य विक्रय काउन्टर/स्टॉल के निर्माण जैसी अंतःसंरचना का निर्माण किया जाना अपेक्षित था, किसी भी नमूना जाँचित जिलों में न तो निर्माण किया गया, न ही कार्यक्रम के असर का मूल्यांकन किया गया। केवल विनिहित निधि में से 2.68 लाख रुपये (5 प्रतिशत) ही 1997–98 एवं 2001–02 के दौरान खर्च किया गया। 1998–2001 के दौरान कोई निधि विनिहित नहीं की गई।

राज्य में केवल 15 प्रतिशत लक्षित मत्स्य पालकों को प्रशिक्षित किया गया

(v) एफ.एफ.डी.ए. से मत्स्य पालकों को 15 दिनों का अल्प अवधि प्रशिक्षण देना अपेक्षित था। वर्ष 1997–2002 के दौरान 11230 मत्स्य पालकों के लक्ष्य के विरूद्ध केवल 1701 (15 प्रतिशत) को प्रशिक्षित किया गया जबकि नमूना जाँचित 10 जिलों में 4394 मत्स्य पालकों के लक्ष्य के विरूद्ध केवल 907 (21 प्रतिशत) को प्रशिक्षित किया गया। इस प्रकार, मत्स्य उत्पादन, रोगों के नियंत्रण एवं निवारण के नवीनतम तकनीकी ज्ञान से मत्स्य पालक वंचित रहे।

3.1.7.3 मछुआरों के लिए सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना

भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समान भागीदारी की इस केन्द्र पोषित योजना में उन निबंधित सक्रिय मछुआरों को जो राष्ट्रीय मत्स्य पालन सहयोग संघ (फीसकोफेड) के सदस्य थे, 12 माह की अवधि की बीमा सुरक्षा परिकल्पित थी।

बीमा सुरक्षा पर संदेहास्पद व्यय

भारत सरकार एवं बिहार सरकार ने मछुआरों की बीमा सुरक्षा के लिए सामान्य बीमा निगम को वर्ष 1997–2002 के दौरान 24 लाख रुपये का भुगतान किया। हाँलाकि इस व्यय की सत्यता प्रमाणित नहीं की जा सकी क्योंकि न तो निदेशालय और न ही नमूना जाँचित जिलों में अभिलेख संधारित था।

3.1.7.4 मछुआरों के लिए आवास

मछुआरों को आवास, पेयजल तथा सामुदायिक भवन जैसी नागरिक सुविधाएँ प्रदान करने हेतु 1990–91 में एक कल्याण योजना शुरू की गई। भारत सरकार द्वारा मछुआरों के लिए राष्ट्रीय कल्याण निधि के माध्यम से इस योजना की लागत का 50 प्रतिशत तथा शेष राज्य सरकार द्वारा वहन किया गया। एक मकान की लागत 0.35 लाख रुपये थी। कम से कम 75 मकान वाले मछुआरों के एक गाँव में 1.75 लाख रुपये की अधिकतम लागत पर एक सामुदायिक भवन उपलब्ध कराना था।

राज्य सरकार द्वारा आवास योजना उपेक्षित

निदेशक, मत्स्य पालन ने मछुआरों के लिए आवास निर्माण हेतु वर्ष 1997–98 (34.50 लाख रुपये) तथा वर्ष 2001–02 (50.10 लाख रुपये) में 84.60 लाख रुपये की निकासी की। इसमें से पूरी तरह निर्मित 23 मकानों पर 8.05 लाख रुपये तथा वर्ष 1997–98 में शुरू किए गए अधूरे 57 मकानों पर 9.18 लाख रुपये खर्च किए गए। जून 2002 तक 67.37 लाख रुपये (बेगुसराय में वर्ष 1997–98 से 17.27 लाख रुपये तथा समस्तीपुर में वर्ष 2001–02 से 50.10 लाख रुपये) अनुपयोगित रहे। इस प्रकार योजना राज्य सरकार द्वारा उपेक्षित रही।

3.1.7.5 मत्स्य पालन प्रशिक्षण एवं विस्तार योजना

अधिकारियों को प्रशिक्षण नहीं दिया गया

मत्स्य पालकों को तकनीकी मार्गदर्शन एवं प्रभावी विस्तार सहायता सुनिश्चित करने के लिए इस केन्द्र प्रायोजित योजना में सरकारी अधिकारियों एवं मत्स्य पालकों के बीच संबंध स्थापित करने की परिकल्पना की गई थी। कर्मियों को वर्ष 1997–2002 के दौरान ऐसा कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया। यहाँ तक कि निदेशक द्वारा 31 मार्च 2002 को निकासी किए गए 4.00 लाख रुपये एक बैंक के चालू खाते में रखे गए।

3.1.7.6 हौज मत्स्य पालन का विकास एवं उद्धार

इस योजना में राज्य सरकार से अनुदान एवं बैंकों से ऋण के द्वारा निजी तालाबों का विकास परिकल्पित किया गया था।

किसानों को तालाब मत्स्य पालन के विकास एवं उद्धार के लिए अल्प निधि वितरित

वर्ष 1997–2002 के दौरान किसानों को अनुदान के रूप में 91.00 लाख रुपये के प्रावधान के विरूद्ध केवल 19.77 लाख रुपये वितरित किए गए। निदेशक ने 71.23 लाख रुपये की बचत के लिए बैंकों द्वारा ऋण की स्वीकृति नहीं दिए जाने को उत्तरदायी ठहराया (जून 2002)।

इसके अतिरिक्त नमूना जाँचित 10 जिलों में से 8 जिलों में अनुदान के रूप में वितरित करने के लिए निकासी किए गए 17.26 लाख रुपये को "असैनिक जमा" में रखा गया।

3.1.7.7 मत्स्य पालन अनुसंधान योजना

मत्स्य पालन अनुसंधान संस्थान पर अत्यधिक स्थापना व्यय जहाँ 1997–2002 के दौरान कोई अनुसंधान कार्य नहीं किया गया

मत्स्य पालन अनुसंधान संस्थान, पटना को अभिप्रेरित प्रजनन, वायु श्वसन मत्स्य का कृत्रिम प्रजनन, झींगा प्रजनन एवं पालन, केज पालन एवं मत्स्य के रोगों का नियंत्रण पर अनुसंधान कार्य करना था। यद्यपि कर्मचारियों के वेतन भत्ते पर वर्ष 1997–2002 के दौरान 86.96 लाख रुपये खर्च किए गए जबकि कोई अनुसंधान नहीं किया गया। वर्ष 2001–02 के दौरान अनुसंधान कार्य के लिए रखे गए 4.10 लाख रुपये तालाबों के लघु निर्माण एवं सामग्रियों के क्रय पर खर्च किए गए।

संस्थान के संयुक्त निदेशक ने बताया (जून 2002) कि संस्थान में लिए गए अनुसंधान कार्य समुचित जल क्षेत्र के अभाव, तालाब में जल के अन्तर्ग्रहण के लिए अपर्याप्त

प्रावधान, तकनीकी कर्मचारियों की कमी एवं अनुसंधान कार्य के लिए निधि के अभाव के कारण प्रभावित हुए। यह तर्कसंगत नहीं था।

3.1.8 मत्स्य पालन संसाधनों की बंदोबस्ती

मत्स्य पालकों को अधिक संख्या में हौज एवं तालाब बंदोबस्त नहीं किए गए

(क) हौज, तालाब एवं मन को मत्स्य पालकों को दीर्घ अवधि (10 वर्ष) एवं अल्प अवधि (वार्षिक रूप से या 3 वर्षों के लिए) के आधार पर बंदोबस्ती करना था। यह पाया गया कि वर्ष 1997–2002 के दौरान 15699 हेक्टेयर जल क्षेत्र वाले 5940 तालाब एवं हौज की बंदोबस्ती नहीं की गई। निदेशक ने तालाब एवं हौज में गाद भर जाना, विवाद एवं नक्सली तत्त्वों द्वारा हस्तक्षेप को कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। हाँलाकि इन बाधाओं को दूर करने के लिए की गई कार्रवाई अभिलेखित नहीं थी।

राजस्व संग्रह में कमी

(ख) वर्ष 1997–2002 के दौरान 17.66 करोड़ रुपये के लक्ष्य के विरूद्ध 11.19 करोड़ रुपये के राजस्व का संग्रह किया गया। निदेशक ने तालाब एवं हौज में गाद भर जाने को कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया (जून 2002)। हाँलाकि बताया गया कारण तर्कसंगत नहीं था क्योंकि वर्ष 2001–02 के दौरान मत्स्य उत्पादन में वृद्धि हुई थी।

सैरात पंजी समुचित रूप से संधारित नहीं

(ग) नमूना जाँचित 10 जिलों में से सैरात पंजी (हौज/तालाब का राजस्व बंदोबस्ती पंजी) समुचित रूप से संधारित नहीं था। अतः सैरात संग्रह एवं बकाए की सही स्थिति को सुनिश्चित करना मुश्किल था। इसी प्रकार इन जिलों में 27.46 लाख रुपये के बकाए की सत्यता को लेखापरीक्षा में जाँच नहीं किया जा सका।

अधिक संख्या में तालाब एवं हौज मत्स्य पालन विकास के लिए सम्मिलित नहीं किए गए

इसके अतिरिक्त मत्स्य पालन विकास के लिए पशुपालन एवं मत्स्य पालन विभाग द्वारा नमूना जाँचित 10 जिलों में जून 2002 तक बहुत सारे तालाब एवं हौज को सम्मिलित नहीं किया गया।

3.1.9 मानव शक्ति प्रबंधन

मछुआरों तथा मत्स्य प्रहरियों एवं एफ.ई.एस. की सेवाओं का उपयोग मत्स्य पालन विकास के लिए नहीं किया गया, परिणामतः उनके वेतन एवं भत्ते पर अत्यधिक निष्फल व्यय हुआ

वर्ष 1997–2002 के दौरान 294 मछुआरों एवं 24 मत्स्य प्रहरियों की सेवाओं का उपयोग नर्सरी/हैचरी में झींगा का पालन/वितरण एवं विभाग द्वारा प्रबंधित हौज/तालाबों में मत्स्य कार्य जैसी मत्स्य पालन के विकास में करने के बदले राजस्व संग्रह या अन्य विभागीय कार्य में उनकी सेवाओं का उपयोग किया गया। इस प्रकार उनके वेतन एवं भत्ते पर किया गया 8.34 करोड़ रुपये का खर्च निष्फल रहा। इसके अतिरिक्त, मछुआरों एवं मत्स्य प्रहरियों के कार्यों का पर्यवेक्षण करने वाले 156 मत्स्य पालन विस्तार पर्यवेक्षकों (एफ.ई.एस.) के वेतन एवं भत्ते पर वर्ष 1997–2002 के दौरान हुआ 7.55 करोड़ रुपये का व्यय निष्फल रहा क्योंकि उन्हें पर्यवेक्षण का कार्य नहीं था।

3.1.10 अभिश्रवण एवं मूल्यांकन

अभिश्रवण एवं मूल्यांकन के पूर्णतः अभाव के कारण मत्स्य पालन विकास योजनाएँ बुरी तरह प्रभावित हुई

प्रत्येक 3 माह में बैठक करने हेतु 3 वर्षों के लिए मार्च 1993 में गठित राज्य स्तरीय समन्वय एवं अभिश्रवण समिति ने मार्च 1996 में अपने कार्यकाल की समाप्ति तक एक भी बैठक आयोजित नहीं की। उसके बाद समन्वय तथा अभिश्रवण समिति का गठन नहीं किया गया। अतः अभिश्रवण का पूर्णतः अभाव था जिसने मत्स्य पालन विकास कार्यों के क्रियान्वयन को बुरी तरह प्रभावित किया। लाभार्थियों के लक्षित समूह पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन न तो स्वयं विभाग द्वारा और न ही किसी स्वतंत्र अभिकरण द्वारा किया गया।

मामले सरकार को संदर्भित किए गए (सितंबर 2002) ; उनके उत्तर अप्राप्त थे (सितम्बर 2003)।

सी0ए0जी0 के अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2001–02 (सि0) की कंडिका आपति 3.1 की पारा कंडिका 3.1.1 से 3.1.3 लेखा परीक्षा से संबंधित है अतएव इस पर उत्तर अपेक्षित नहीं है।

अतः 3.1.4 से 3.1.10 तक विभाग से निम्नांकित उत्तर प्राप्त है।

3.1.4 – विभागीय स्पष्टीकरण

राज्य में दो तरह के जल संसाधन हैं :— (1) तालाब एवं पोखर, (2) चौरमन तथा जलाशय / तालाब एवं पोखरों को पालन मात्स्यिकी के रूप में उपभोग किया जाता है तथा चौर मन, जलाशय आदि को प्रग्रहण मात्स्यिकी के लिए। अतः पूरे राज्य के शत प्रतिशत पोखरों को एक समय में मत्स्य पालन हेतु उपयोग में रखना सरकारी एवं निजी दोनों क्षेत्रों कठिन है, क्योंकि प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे अपरदन, अपक्षरण, सिल्टेशन आदि से प्रत्येक वर्ष कुछ तालाब परता की श्रेणी में आ ही जाँएगे।

मन तथा चौर के विकास हेतु अत्याधिक राशि की आवश्यकता होती है। पायलट प्रोजेक्ट, बाद में संपोषित योजनाओं, राज्य योजना आदि से 26000 हे० जलक्षेत्र का विकास किया गया है। सभी जलक्षेत्रों को एक साथ विकसित कर अर्द्ध सघन पालन में लाना, लागत राशि के हिसाब से अत्यंत कठिन है। वैसे इनमें पारम्परिक तरीके से मछली पालन किया जाना है।

धीरे–धीरे प्राप्त योजना उद्व्यय को ध्यान में रखते हुये फेजवाइज जलक्षेत्रों का विकास किया जा रहा है।

समिति की अनुशंसा

दिनांक 26 जून, 2012 की बैठक में समिति द्वारा प्रधान महालेखाकार कार्यालय एवं वित्त विभाग की सहमति से विभागीय उत्तर के आलोक में इस कंडिका आपति को निष्पादित किया गया।

3.1.5 -

विभागीय स्पष्टीकरण

शेष बिहार के लिए वर्ष 1997—2002 के योजना / गैर योजना मिलाकर उपलब्ध राशि वास्तविक व्यय एवं बचत के संबंध में जो विवरणी दी गयी है, वह संयुक्त बिहार के लिये प्रतिशत के हिसाब से झारखंड के लिए प्रतिशत के आधार पर राशि घटाने के बाद दर्शाया गया है, जबकि योजनाओं में झारखंड क्षेत्र को अधिक राशि प्राप्त हुए एवं व्यय भी अधिक हुआ।

योजना एवं गैर योजना मिलाकर 36 प्रतिशत की बचत हड़ताल (1998—99), योजना अधिसीमा में लगातार कटौती, रिक्त पदों पर नियुक्ति नही हो पाना, सेवा निवृति विश्व बैंक परियोजना का बीच में निलंबन, भारत सरकार द्वारा अपने योजना अंशदान की राशि की विलंब से विमुक्ति तथा राशि की निकासी में ससमय प्राधिकार पत्र का प्राप्त नहीं हो पाना आदि था। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा मुख्य योजनाओं के योजनाकाल में अनुदान की निर्धारित दर में संशोधन तथा स्थापना मद में भारत सरकार द्वारा पूर्व प्रदत्त 50 प्रतिशत अनुदान में समाप्त कर दिये जाने के कारण केन्द्रांश की राशि में बचत हुई। लोक लेखा समिति के विगत बैठकों में दिये गये निदेश के आलोक में सभी आवश्यक कागजात समिति के समक्ष उपस्थापित की गयी। समिति द्वारा विभागीय उत्तर पर संतुष्टि जतायी गयी तथा कंडिका drop करने का आश्वासन दिया गया यद्यपि अभी तक लिखित सूचना नहीं प्राप्त है।

पदाधिकारी / कर्मचारियों के पुनरीक्षित वेतनमान लागू होने, भूतलक्षी प्रभाव से आर्थिक लाभ देने तथा कतिपय पदों का भरा जाना, कनीय, वरीय एवं प्रवर कोटि पदों पर प्रोन्नति के फलस्वरूप गैर योजना के स्थापना में अपेक्षाकृत वृद्धि हुई।

(ख) वित्तीय वर्ष के अंत में जो राशि की निकासी की गयी वे सभी केन्द्र प्रायोजित योजनायें अथवा विश्व बैंक की राशि थी। राशि की निकासी कर सरकार के अनुमोदनोपरान्त टर्म डिपोजिट के अन्तर्गत रखा गया। इसके लिए विश्व बैंक से दिशानिर्देश निर्गत था ~~[illegible]~~। बैंक ड्राफ्ट की राशि मछुआ आवास निर्माण एवं बीमा प्रीमीयम आदि के थे जो उपयोग में है। विश्व बैंक द्वारा मनों के विकास के लिए रिभौलभिंग फंड के माध्यम से लेखा संधारण का निदेश दिया गया था। पहले राज्य योजना

मद से व्यय किया जाता था, तदनुरूप वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर केन्द्रांश की राशि व्यय हेतु विमुक्त करायी जाती थी। प्रक्रियात्मक विलंब से बचने हेतु टर्म डिपोजिट के रूप में राशि बैंक में रखी गई। व्यय की लिखित सूचना प्राप्त होते ही उसे रोकड़ पंजी में अंकित कर दी गई।

मार्च 1996 में योजना की स्वीकृत्योपरान्त मो० 1.00 एक करोड़ खर्च के राशि की निकासी कोषागार से की गई। इसमें से 80.00 अस्सी लाख रूपये टर्म डिपोजिट में जमा है। शेष व्यय हो गया।

80 लाख में से 30 लाख रूपये टर्म डिपोजिट को विभिन्न तिथियों में तोड़कर सूद सहित 30,00,000+9,91,059=39,91,059/- रूपये रोकड़ पंजी में दर्ज किया गया।

कार्य समाप्ति के उपरांत संवेदकों के अभिश्रव को पारित कर मो० 33.63 लाख रूपये मात्र का व्यय हुए। सभी अभिश्रव अंकेक्षक दल द्वारा सत्यापित है।

शेष 50.00 लाख रूपये का टर्म डिपोजिट का सूद दिनांक 31.03.2002 तक 23,97,381.00 रूपये हुए जिसे रोकड़ पंजी में दिनांक 16.10.2002 को दर्ज है।

इस प्रकार किसी भी राशि का दुर्विनियोजन नही हुआ है।

(ग) बैंक लेखे से रोकड़ पंजी का अद्यतन मिलान कर त्रुटियों का निराकरण कर लिया गया है। अगले अंकेक्षण दल को दिखाया जा सकता है।

समिति के निदेश पर रोकड़ पंजी, बैक ड्राफ्ट तथा अन्य आवश्यक कागजात समिति को दिखलाया गया। महालेखाकार एवं वित्त के पदाधिकारियों के द्वारा समिति के समक्ष कोई अनिमियतता नहीं होने की स्वीकार की गई।

समिति की अनुशंसा

दिनांक 26 जून, 2012 की बैठक में समिति द्वारा विभागीय उत्तर के आलोक में प्रधान महालेखाकार कार्यालय एवं वित्त विभाग के सहमति के उपरांत इस निदेश के साथ कि “विभाग बैंक का रिकन्सी लियेसन स्टेटमेंट समिति को उपलब्ध करा दे” कंडिका संख्या 3.1.5 क, ख एवं ग को निष्पादित किया गया।

विभागीय स्पष्टीकरण

3.1.6 – मत्स्य उत्पादन तथा मत्स्य बीज उत्पादन एक
जीवित प्रक्रिया है। इसमें मौसम, तापक्रम, रात
और दिन का तापक्रम अंतर आदि सभी प्रभाव
डालते है। अतः समान्यतः 75 प्रतिशत से उपर
की उपलब्धि संतोषप्रद कही जा सकती है।

नदियों का Hydro Biological Survey
प्रत्येक वर्ष संभव नही है। यह कार्य मुख्यतः
कृषि अनुसंधान परिषद की अनुसंधान (मत्स्य)
इकाई द्वारा होता है। राज्य में इस तरह का
सर्वेक्षण केन्द्रीय अन्तःस्थलीय मात्स्यिकी
अनुसंधान केन्द्र, बैरकपुर द्वारा किया जा रहा
है। मिश्रित मत्स्य पालन जो तालाबों में किया
जाता है, उसका नदियों Hydro Biological
Survey से सीधा संबंध नही है।

सम्प्रति शेष बिहार में 115 मत्स्य बीज
प्रक्षेत्र है, जिसके द्वारा मत्स्य बीज उत्पादन का
कार्य किया जाता है। योजना अधिसीमा में
कटौती तथा एक मुश्त अग्रिम निकासी पर रोक
के कारण विभागीय मत्स्य बीज उत्पादन कार्य
प्रभावित हुआ है।

मत्स्य बीज उत्पादन हेतु सम्पूर्ण राशि
अप्रैल माह के तृतीय सप्ताह तक प्राप्त होना
आवश्यक है। इन मत्स्य बीज प्रक्षेत्रों पर निजी
मत्स्य उत्पादको द्वारा मत्स्य बीज उत्पादन
कार्य कराया गया।

सरकार के निर्णयानुसार राज्य में उन्नत
किस्म के मत्स्य बीज उत्पादन को बढ़ावा देने
के उद्देश्य से अधिकतम मत्स्य बीज प्रक्षेत्रों को
लोकजन भागीदारी के आधार पर निजी मत्स्य
कृषकों के साथ बन्दोवस्त कर दिया गया है,
शेष की बन्दोवस्ती प्रक्रियाधीन है।

समिति की अनुशंसा

दिनांक 26 जून, 2012 की बैठक में समिति द्वारा विभागीय उत्तर के आलोक में प्रधान महालेखाकार कार्यालय एवं वित्त विभाग के सहमति से इस कंडिका आपति को निष्पादित किया गया।

विभागीय स्पष्टीकरण

3.1.7 –
3.1.7.1
(I, II, III, IV)

नवम् पंचवर्षीय योजनाकाल (1997–2002) में 14 योजनाओं का चयन, कार्यान्वयन हेतु किया गया था। विभाग को प्राप्त योजना उद्व्यय के अनुरूप प्राथमिकता के आधार पर योजनाओं का कार्यान्वयन किया गया। केन्द्रीय योनागत योजना अन्तर्देशीय मत्स्य सांख्यिकी का विकास भी कार्यरत था। इस योजना को नए स्वरूप में प्रस्तुत करने हेतु भारत सरकार द्वारा इसे वित्तीय वर्ष 2002–2003 में स्थगित रखा गया था। वित्तीय वर्ष 1994 में राज्य के जलाशयों का प्रशासनिक नियंत्रण जलसंसाधन विभाग के अधीन कर दिया गया था। अतः "जलाशय मत्स्य का विकास योजना" व्यापक तौर पर लागू नही की जा सकी।

वाह्य संपोषित झींगा एवं मछली पालन परियोजनान्तर्गत राज्य में कुल जिलों के 27 चयनित मनों के 2240 हे0 जलक्षेत्र को विकास कर गहन मत्स्य उत्पादन के अन्तर्गत लाना था। योजना के कार्यान्वयन में प्रक्रियात्मक विलम्ब, विश्व बैक द्वारा योजना का एक वर्ष से अधिक समय तक निलंबित किये जाने के कारण पूरी राशि का शत प्रतिशत व्यय नहीं हो पाया। इसके बाबजूद भी 1411 हे0 जलक्षेत्र का विकास कर गहन मत्स्य उत्पादन के अन्तर्गत लाया गया विकसित मनों से प्रति हे0 वार्षिक उत्पादन क्षमता 260 Kg हो गयी है। अभी तक कुल 224.74 लाख रू0 का व्यय हुआ है।

(i) कुल प्रस्तावित 27 मनों के विरूद्ध 7 मनों का विकास कार्य पूरा हो गया है, तथा शेष 10 मनों का विकास कार्य प्रक्रिया में है। विवाद के कारण स्थगित हैं मनों के विकास के पश्चात इसकी वन्दोवस्ती मनों के आस पास के मत्स्य पालाकों के साथ की जानी है। बन्दोवस्ती का मुख्य उद्देश्य मत्स्य पालाकों का सामाजिक एवं आर्थिक स्तर को उपर उठाना तथा उन्हें स्ववलम्बी बनाना है।

(ii) मनों के विकास के लिए सपोर्ट सर्विसेज 186.42 लाख रू0 कर्णाकित थी। पूरे परियोजना अवधि के दौरान योजना प्राधिकृत समिति द्वारा मात्र 15.00 लाख रू0 की निकासी की स्वीकृति प्रदान की गई। पूणरूपेण विकसित मनों एवं इच्छुक मत्स्यजीवी सहयोग समितियों को ही सपोर्ट सविर्सेज पर व्यय हेतु 7.49 लाख रू0 कर्ज स्वरूप दिये गये।

(iii) इस परियोजना में पदस्थापित पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को देश से बाहर विशेष प्रशिक्षेण की व्यवस्था की गई। इसका व्यय विश्व बैंक द्वारा सीधे वहन किया गया। अतः प्रशिक्षण मद में बचत प्रलक्षित हुआ।

(iv) अधिकाई व्यय 26.36 लाख रू0 की गणना में राज्य परियोजना इकाई के अन्तर्गत किय गये सम्पूर्ण व्यय (स्थापना) को समेकित कर प्रतिपूर्ति दावा के रूप में दर्शाया गया है। इस योजनान्तर्गत मात्र एक एम्बेसडर डीजल कार मुख्यालय में उपलब्ध है। जिसका उपयोग राज्य परियोजना इकाई के पदाधिकारियों तथा उच्चाधिकारियों जिसमें माननीय मंत्री भी शामिल है द्वारा विश्वबैक परियोजनान्तर्गत किया गया है।

समिति की अनुशंसा

दिनांक 26 जून, 2012 की बैठक में समिति द्वारा विभागीय उत्तर के आलोक में 3.1.7 एवं 3.1.7.1 (I), (II), (III) एवं (IV) को प्रधान महालेखाकार कार्यालय तथा वित्त विभाग की सहमति से इस कंडिका आपति को निष्पादित किया गया।

विभागीय स्पष्टीकरण

3.1.7.2 (I), (II), (III), (IV) विश्वबैंक परियोजना की समाप्ति के बाद मत्स्यपालक विकास अभिकरण योजना का कार्यान्वयन केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत चालू रखा गया। इसके अन्तर्गत तालाबों का विकास, इनपुट, प्रशिक्षण वाहन एवं इन्क्रीमेन्टल स्टाफ, (मत्स्य प्रसार पदा0, मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक एवं मछुआ) के वेतनादि पर होनेवाले व्यय का 50:50 प्रतिशत व्यय भार क्रमशः राज्य सरकार एवं भारत सरकार मिलकर वहन करती थी, जो आठवीं पंचवर्षीय योजनाकाल 92–97 में भी यथावत थी।

आलोच्य अवधि में शेष बिहार के लिये उपलब्ध उपबंध के विरुद्ध व्यय में कमी का मुख्य कारण व्यवसायिक बैंकों द्वारा विकास कार्यो में ऋण उपलब्धि में शिथिलता, भारत सरकार द्वारा समय पर अपने अंशदान की राशि विमुक्त नहीं किया जाना, तथा आलोच्य अवधि के बीच में ही इन्क्रीमेन्टल स्टाफ के वेतनादि की राशि बन्द कर दिये जाने के फलस्वरूप बचत हुआ है।

समिति के विगत बैठक में इससे संबंधित सभी साक्ष्य समिति को दिखलाये गये जिस पर समिति द्वारा संतुष्टि व्यक्त की गयी।

व्यवसायिक बैकों के असहयोगत्मक रवैये के कारण इच्छुक मत्स्य पालकों को ऋण स्वीकृत नहीं हो पाया। यद्यपी भारत सरकार के मार्गदर्शन के अनुरूप 10.21 लाख रू0 का अनुदान उपलब्ध कराया गया था।

प्रायः मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक अपने कार्यक्षेत्र के, मत्स्य पालाकों के तालाबों का निरीक्षण करते हैं, तथा मत्स्य कृषकों को आवश्यक तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराते हैं। आवश्यकता पड़ने पर मत्स्य पालक स्वयं मुख्यालय जाकर उनसे तकनीकी सहयोग प्राप्त करते है। मत्स्य प्रसार पदाधिकारी/मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षकों की दैनन्दिनियाँ एवं समय–समय पर उनके द्वारा समर्पित निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर उनके क्रिया–कालापों की समीक्षा होती रहती है। प्रचार–प्रसार के अन्य माध्यमों यथा पोस्टर, पम्पलेटस, प्रदर्शनी, सेमिनार आदि के माध्यम से भी तकनीकी ज्ञान प्राप्त कराये जाते है। अभिकरण के माध्यम से विकसित जलक्षेत्रों का प्रति हे0 वार्षिक उत्पादन क्षमता 2175 किलोग्राम प्रति हे0 हो गया है। यह एक अच्छी उपलब्धि है।

मछलियों का ताजा स्थिति में विक्री के लिये फीश लैडिंग शेड एवं रिटेल आउटलेट का निर्माण पाँच जिलों में किया गया है, जिसमें भागलपुर के अतिरिक्त मुगेंर आदि भी है।

पटना में बेली रोड़ वे हड़ताली चौक के पास 2.68 लाख रू0 की लागत पर छः रिटेल आउटलेट का निर्माण की योजना थी। जिला प्रशासन द्वारा जमीन नहीं स्थानान्तरित किया गया सम्प्रति यह राशि राजकोष में जमा कर दी गई । इसके अतिरिक्त सचिवालय कैन्टिन तालाब पर भी मत्स्य बिक्री स्टॉल कार्यरत है।

आलोच्य अवधि में कुल 11230 मत्स्य पालकों को प्रशिक्षण करने का लक्ष्य निर्धारित था। योजना अधिसीमा में कटौती, भारत सरकार द्वारा अपने अंशदान की राशि की विमुक्ति विलम्ब से करने, महालेखाकार द्वारा प्राधिकार पत्र ससमय निर्गत नहीं किये जाने के फलस्वरूप मात्र 2246 लाभुकों को 15 .दिनों के अल्पावधिक प्रशिक्षण दिया गया।

जो राशि व्यय नहीं हो सकें, उन्हें सरकारी खजाने में जमा करते हुये.

विस्तृत आकस्मिकता विपत्र भेज दिया गया है।

समिति की अनुशंसा

दिनांक 26 जून, 2012 की बैठक में समिति द्वारा विभागीय उत्तर के आलोक में को प्रधान महालेखाकार कार्यालय एवं वित्त विभाग की सहमति से इस कंडिका आपति 3.1.7.2 एवं 3.1.7.2 (I), (II), (III), (IV) को निष्पादित किया गया।

3.1.7.3

विभागीय स्पष्टीकरण

आलोच्य अवधि में दुर्घटना बीमा योजनान्तर्गत कुल 13.20 लाख रू0 का व्यय हुआ, जिसमें राज्य योजना मद से मात्र 6.60 लाख रू0 का व्यय हुआ। शेष व्यय भारत सरकार के अंशदान से की गई। जिसे भारत सरकार द्वारा अपने स्तर से सीधे बीमा कम्पनी को फिस्कोफेड के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी है। राज्य सरकार भी अपना अंशदान फिसकोफेड को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से उपलब्ध कराता है। फिसकोफेड भारत सरकार का एक उपक्रम है, जो राज्यों केन्द्र सरकार एवं बीमा कम्पनी के बीच नोडल एजेन्सी का कार्य करता है।

जिला मत्स्य पदाधिकारी इस योजना के प्रस्तुतिकरण पदाधिकारी है। उनके माध्यम से प्राप्त फोटो सहित आवेदन अनुलग्नकों के साथ फिस्कोफेड को अग्रसारित कर दिया जाता है। एक प्रति निदेशालय में स्वतंत्र संचिका में संधारित की जाती हैं । बीमा कम्पनी द्वारा राशि स्वीकृत किये जाने पर जि0 म0 पदा0 की मदद से आश्रित की पहचान कर उन्हें राशि उपलब्ध करा दी जाती है। आलोच्य अवधि में 14 आश्रित लाभान्वित हुये जो सूची के सभी निबंधित मछुआ सहयोग समिति के सदस्य थें। यह एक सामूहिक बीमा योजना है। राज्य के मछुआ जो मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के पंजीकृत सदस्य होते है उन्हे ही इस योजना का कवरेज प्राप्त होता है।

समिति के विगत बैठकों में फिस्कोफेड को उपलब्ध कराये गये राशि का रिसिट दिखाया गया था।

समिति की अनुशंसा

दिनांक 26 जून, 2012 की बैठक में समिति द्वारा विभागीय उत्तर के आलोक में प्रधान महालेखाकार कार्यालय एवं वित्त विभाग की सहमति से इस निदेश "1997 से 2002 तक का जो बीमा रिसीट को समिति को उपलब्ध करा दे" के साथ इस कंडिका आपति को निष्पादित किया गया।

विभागीय स्पष्टीकरण

3.1.7.4 यह एक केन्द्र प्रायोजित योजना है । इस योजना में मछुआरों के लिये आवास का निर्माण किया जाता है । आवास निर्माण हेतु राशि अधिकतम चार किस्तों में चेक द्वारा लाभुकं को उपलब्ध कराया जाता हैं। विभागीय अभियन्ताओं की देख–रेख मे लाभुक स्वयं आवास का निर्माण करते है। प्रतिवेदित 67.37 लाख रू0 की अव्यहृत राशि, जिसमें बेगूसराय जिले हेतु 17.27 लाख रू0 एक समस्तीपुर जिले हेतु 50.10 लाख रू0 की अद्यतन स्थिति निम्न प्रकार है :– बेगूसराय, प्रारंभ में इस जिला में आवास निर्माण विभागीय अभियन्ता द्वारा किया जा रहा था। कुल 23 आवास पूर्ण रूप से तथा 57 अर्द्धनिर्मित थे, इसी बीच प्रशासनिक दृष्टिकोण से निर्माण की शेष राशि 10.25 लाख रू0 जिलाधिकारी, बेगूसराय को हस्तगत करा दी गई है। शेष कार्य पूरा कर लिया गया है।

समस्तीपुर –– समस्तीपुर जिले के लगूनियॉं सूर्यकण्ठ गॉंव में कुल स्वीकृत 116 आवास 13 हैंडपम्प एवं एक सामुदायिक भवन निर्माण की योजना में 81 आवास पूरा होने की स्थिति में है। आनुपातिक रूप से 8 हैंडपम्प का कार्य पूरा करा लिया गया है। सामुदायिक भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ हो रहा है।

समिति के विगत बैठकों में प्राप्त निदेश के आलोक में आवास योजना का पूरा व्यौरा प्रस्तुत किया गया था। लाभुकों के असहयोग के कारण कुछ कार्य अधूरे रह गये। अवशेष राशि को सरकारी खजाने में जमा कर दिया गया।

समिति की अनुशंसा

दिनांक 28 सितम्बर, 2012 की बैठक में समिति द्वारा विभागीय उत्तर के आलोक में प्रधान महालेखाकार कार्यालय एवं वित्त विभाग की सहमति से इस कंडिका आपति को निष्पादित किया गया।

विभागीय स्पष्टीकरण

3.1.7.5 मत्स्य प्रशिक्षण एवं प्रसार योजनापूर्व में केन्द्रीय योजनान्तर्गत एक वर्ष के लिए राज्य में कार्यान्वित हुआ। वर्ष 1998–99 में 5.00 लाख रू० इस मद से प्राप्त हुए इस राशि से मधुबनी के रामपट्टी में मत्स्य प्रशिक्षण केंन्द्र का निर्माण एवं साज–सज्जा किया गया। शेष 1.25 लाख रू0 से 131 निजी मत्स्य पालकों को दीप नारायण सिंह सहकारिता प्रबंधन संस्थान, शास्त्री नगर, पटना के माध्यम से 5 बार में 15–15 दिनों का प्रशिक्षण दिया गया है वित्तीय वर्ष 2000–01 में इस योजना का केन्द्र प्रयोजित योजना में स्थानान्तरण हो गया। इस योजनान्तर्गत मत्स्य पालकों को प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना प्रदर्शनी सेमीनार आदि के आयोजन कुल व्यय 80.20 के अनुपात में क्रमशः भारत एवं राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। वर्ष 2001–2002 में केन्द्र द्वारा अपने अंशदान की राशि विमुक्त नही कर पाने के कारण मात्र 20 प्रतिशत राज्यांश की राशि की निकासी हो पायी। इस राशि से मीठापुर मत्स्य प्रशिक्षण केन्द्र का उन्नयन एवं विकास कार्य किया गया। अभी भी मत्स्य कृषकों का उच्च स्तरीय प्रशिक्षण दीप नारायण सिंह क्षेत्रीय सहकारिता प्रबंधन संस्थान में किया जा रहा है।

समिति की अनुशंसा

दिनांक 28 सितम्बर, 2012 की बैठक में समिति द्वारा विभागीय उत्तर के आलोक में इस कंडिका को निष्पादित किया गया।

विभागीय स्पष्टीकरण

3.1.7.6

आलोच्य अवधि में संशोधित उद्व्यय मात्र 55.00 लाख रू0 निर्धारित किया गया। कुल व्यय मात्र 19.77 लाख रूपये हुए। योजना अधिसीमा में पुर्नसंशोधन आदि के कारण व्यय में कमी आयी।

बैकों में भेजे गये ऋण आवेदन पत्रों पर देय संभावित अनुदान राशि की निकासी की गई। व्यवसायिक बैंकों के असहयोगात्मक रवैये के कारण बाधित संख्या ने ऋण आवेदन पत्र स्वीकृत नही हुये। बाद में ऋण स्वीकृत होने की प्रत्याशा में तथा वित्त विभाग के पत्र संख्या 8563 दिनांक 31.12.01 के आलोक में राशि सिविल जमा में रखी गई।

अब अनुदान का भुगतान भी कोषागारों से विपत्र के माध्यम से राशि निकासी कर की जाती है। (सभी बैंको में लेखा बन्द करा दिये गये है।)

समिति की अनुशंसा

दिनांक 28 सितम्बर, 2012 की बैठक में समिति द्वारा विभागीय उत्तर के आलोक में प्रधान महालेखाकार की सहमति से इस कंडिका को निष्पादित किया गया।

विभागीय स्पष्टीकरण

3.1.7.7

पुनरीक्षित बेतनमान का भूतलक्षी प्रभाव से लागू किये जाने, कतिपय पदों का कनीय/वरीय एवं सुपर टाईम आदि में प्रोन्नति के फलस्वरूप स्थापना मद में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। अनुसंधानात्मक कार्यो पर कुल 5.54 लाख रू0 की राशि गैर यो0 एवं योजना स्कीम से व्यय हुये इसके अन्तर्गत विभिन्न जिलों से आये मत्स्य कृषकों के समस्याओं का निराकरण मछलियों की बीमारी आदि का रोकथाम, नदी श्रोत एवं प्रेरित प्रजनन से प्राप्त स्पौन का तुलनात्मक अध्ययन मीठे जल में पालने योग्य झींगा मछली के बीज का संचयन एवं पालन का प्रयोगात्मक अध्ययन गंगा सोन नदियों में प्राप्त स्पौन का सरभाईबल प्रतिशत्त एवं मेजर कार्प के अंडबीज के प्रतिशत का विश्लेषण आदि। मीठा जल में झींगा पालन के लिए झींगा का बीज एवं टेड फीस आदि के प्रयोग से 362.7 कि0 ग्रा0 प्रति हे0 उत्पादन एवं 56.2 प्रतिशत सरभाइर्वल हुआ। इसके अतिरिक्त विभिन्न केन्द्र प्रशिक्षण संस्थानों से आये हुये मत्स्य पालकों के बीच आवश्यक प्रचार–प्रसार की जानकारी मुहैया करायी गयी।

योजना अधिसीमा में लगातार कटौती कतिपय महत्वपूर्ण पदों की रिक्ति आदि के कारण अनुसंधनात्मक कार्य कुछ प्रभावित हुये।

समिति की अनुशंसा

दिनांक 28 सितम्बर, 2012 की बैठक में समिति द्वारा विभागीय उत्तर के आलोक में प्रधान महालेखाकार कार्यालय की सहमति से इस कंडिका को निष्पादित किया गया।

विभागीय स्पष्टीकरण

3.1.8 जमींदारी उन्मूलन के बाद राजस्व विभाग में आये जलकर ही मत्स्य विभाग को हस्तांतरित हुए। अबन्दोवस्त जलकरों के संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए कहना है कि प्रायः जंगली पौधों से अच्छादित, सील्ट से भरे हुये तथा कुछ नकशल प्रभावित क्षेत्रों के अंतर्गत तालाब अबन्दोबस्त रह जाते है। तालाबों की उम्र 15—20 वर्ष तक आँकी जाती है। प्राकृतिक क्रियायें यथा अपरदन, अपक्षरण सील्टेशन आदि के कारण बहुत सारे तालाब परता की श्रेणी में आ जाते है। तालाबों का ऋण/अनुदान के माध्यम से विकास /जीर्णोद्वार कराने की योजना थी। बैंको से वांछित सहयोग नही मिलने के कारण इस योजना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, एवं अनुदान के भारी राशि की बचत हुई। विभाग के लिये निर्धारित उद्व्यय में लगातार कटौती के कारण विभागीय उपबंधित राशि से इनका विकास संभव नही हो पाया।

उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के जलकरों का बन्दोवस्ती एवं शिकारमाही सुनिश्चित करने हेतु गृह विभाग के माध्यम से संबंधित जिलाधिकारी एवं आरक्षी अधिक्षक को आवश्यक निदेश दिये गये।

अविकसित तालाबों के विकास हेतु विशेष पैकेज योजना आयोग की सहमति पर भारत सरकार को भेजा गया है। सीमाक्षेत्र विकास योजना एवं सम विकास योजना के माध्यम से तालाबों के विकास का वृहत प्रयास किया जा रहा है।

जलकरों के विकास हेतु बैंको से ऋण आदि के लिये सभी समाहर्त्ता का पत्र दिये गए है, तथा सांख्यिकी वित्त एवं कार्यक्रम कार्या० विभाग को भी मासिक प्रतिवेदन देते हुये बैकर्स की बैठक में मत्स्य प्रक्षेत्र में ऋण उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जा रहा है। जिला मे कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत तालाबों के विकास /जीर्णोद्वार के लिये जिला पर्षद से भी स्थानीय स्तर पर प्रयास किये जा रहे है। जिला योजनान्तर्गत तालाब खुदाई को प्राथमिकता दी जा रही है।

प्रत्येक जिले में सैरात रजिस्टर पूर्व से संधारित है। अब जिला एवं राज्य स्तर पर भी जिलावार जलकर वार कम्प्यूटराईज्ड सूची का संधारण किया जा रहा है, जिसके द्वारा राजस्व एवं बकाया की जानकारी प्राप्त हो सकेगी।

समिति की अनुशंसा

दिनांक 28 सितम्बर, 2012 की बैठक में समिति द्वारा विभागीय उत्तर के आलोक में प्रधान महालेखाकार कार्यालय की सहमति से इस कंडिका आपति क, ख, ग तीनों को निष्पादित किया गया।

विभागीय स्पष्टीकरण

3.1.9 मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक, मछुआ एव मत्स्य रक्षक का मत्स्य बीज/मत्स्य उत्पादन कार्य के अलावे अन्य विभागीय कार्यकलापों यथा, तालाबों की अल्पकालीन/दीर्घकालीन बन्दोवस्ती हेतु आवेदन प्राप्त करना उत्पादकता एवं राजस्व निर्धारण में सहयोग, ऋण अनुदान के माध्यम से निजी तालाबों का विकास एवं जीर्णोद्वार हेतु बैंकों के साथ तालमेल बैठाने तथा मत्स्य पालकों का प्रशिक्षण आदि का दायित्व भी निर्धारित है। इसके अतिरिक्त अन्य लाभकारी योजनाओं, मछुआरों के लिए सामुहिक जीवन दुर्घटना बीमा, मछुआ आवास आदि कार्यो में इनकी मुख्य भूमिका है। अतः इनके वेतनादि पर खर्च अलाभकारी नही कहा जा सकता है।

समिति की अनुशंसा

दिनांक 28 सितम्बर, 2012 की बैठक में समिति द्वारा विभागीय उत्तर के आलोक में इस कंडिका को क, ख, ग तीनों को निष्पादित किया गया।

विभागीय स्पष्टीकरण

3.1.10 यद्यपि एस.एम.सी.सी. की बैठक नही हो पाई है, तथापि विभागीय कार्यकलापों की प्रतिमाह निदेशालय/विभाग के स्तर पर समीक्षा की जाती है, जिसमें राज्य परियोजना इकाई के पदा० के साथ ही साथ निदेशालय के अन्य पदाधिकारी एवं क्षेत्रीय उप निदेशक नियमित रूप से भाग लेते है। एस.एम.सी.सी. की पुनर्जीवित करने की कार्रवाई चल रही है। समय–समय पर विभागीय सचिव एवं माननीय मंत्री द्वारा भी बैठक का आयोजन करवाकर विभागीय क्रियाकलापों की समीक्षा की जाती है, तथा आवश्यक निदेश दिये जाते है।

विभाग से प्राप्त उत्तर में संलग्न परिशिष्ट 'क' पर द्रष्टव्य।

समिति की अनुशंसा

दिनांक 28 सितम्बर, 2012 की बैठक में समिति द्वारा विभागीय उत्तर के आलोक में इस कंडिका को निष्पादित किया गया।

(ह0)/– अस्पष्ट,
सभापति,
लोक लेखा समिति,
बिहार विधान–सभा, पटना।

पटना :
दिनांक 22 मार्च, 2013 (ई0)।

परिशिष्ट 'क'

दिनांक 28.09.2012 को आहुत लोक लेखा समिति की बैठक में पूछे जानेवाले पूरक प्रश्नों के लिये उत्तर सामग्री।

बेगुसराय जिला के गोधना ग्राम के मछुआरों का आवास निर्माण हेतु विपत्र सं0–199/97–98 एव विपत्र सं0– 200/97–98 से क्रमशः ₹17,25,000.00 राज्यांश एवं ₹10,00,000.00 केन्द्रांश की निकासी की गई। कनीय अभियंता की प्रतिनियुक्ति कर विभागीय रूप से कार्य प्रारम्भ कराया गया। आमजन से शिकायत प्राप्त होने पर कार्य बन्द करा दिया गया। कनीय अभियंता द्वारा मापी पुस्तिका में प्रविष्टि के आधार पर राशि की गणना कर अवशेष ₹10.25 लाख रूपये की राशि समाहर्त्ता, बेगुसराय को उपलब्ध करा दी गई। विभाग द्वारा धारित ₹17,00,000.00 में से ₹6,556.00 अव्यवहृत राशि को चालान सं0–9/35 दिनांक 06.05.2005 से जमा करते हुये ₹17,00,000.00 का DC Bill निदेशालय पत्रांक 688 दिनांक 20.05.2005 से भेज दिया गया।

2. समस्तीपुर जिला अवस्थित लगूनियाँ–सुर्यकंठ ग्राम के 117 मछुआरो का आवास एव एक सामूदायिक भवन के निर्माण हेतु कुल ₹50.10 लाख (₹25.05 लाख राज्यांश + ₹25.05 लाख केन्द्रांश) की स्वीकृति हुई थी। निदेशालय स्तर पर राशि की निकासी कर बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जिला मत्स्य कार्यालय, समस्तीपुर को उपलब्ध कराया गया। राज्यांश का ₹23,83,420.00 व्यय हुआ। अव्यवहृत राशि ₹1,21,580.00 चालान सं0 1165 दिनांक 29.12.2010 से जमा करते हुये DC Bill No.- 10/10-11 and DC Bill No.-39/10-11 से विस्तृत आकास्मिक विपत्र भेजा गया।

केन्द्रांश का ₹23,35,646.00 व्यय हुआ। अव्यवहृत ₹1,69,354.00 चालान सं0 1411 दिनांक 18.09.2010 से जमा करते हुये DC Bill No.-09/10-11 से विस्तृत आकास्मिक विपत्र भेजा गया।

दिनांक 29.09.2012 को आहुत लोक लेखा समिति की बैठक के लिये
मत्स्य प्रक्षेत्र का प्रतिवेदन

मत्स्य निदेशालय से सम्बन्धित सिविल कंडिका 03.1 (2001–02) की समीक्षा हेतु दिनाक 26.06.12 को सम्पन्न लोक लेखा समिति की बैठक में निम्नंकित निदेश दिये गये थे :–

(1) **(क)** वित्तीय वर्ष 1997–98 से वर्ष 2001–02 तक वाह्य सम्पोषित योजनान्तर्गत मन विकास योजना की राशि टर्म डिपोजिट के रूप में रखी गई थी। समिति द्वारा बैंक से आहरित राशि (सूद समेत) बैंक से Conciliated रिपोर्ट, कैश बुक में प्रविष्ठि, व्यय एव अव्यवहृत राशि का राजकोष में जमा करने के सम्बन्ध मे सूचना एवं साक्ष्य उपलब्ध कराना ।

(ख) दुर्घटना बीमा योजनान्तर्गत आलोच्य अवधि में फिसकोपफेड को उपलब्ध कराये गये Receipt की छाया प्रति, देखने की जिज्ञासा की गई।

उत्तर सामग्री – समिति के निदेश के अनुपालन में कैश बुक में राशि की प्रविष्टि सम्बन्धित पेज की छायाप्रति, चालान द्वारा राशि को राजकोष में जमा करने का साक्ष्य (बैंक के मुहर सहित), तथा वर्ष 2002 में फिसकोपफेड को भेजे गये Receipt की छायाप्रति सुलभ प्रसंग हेतू संलग्न है जिसे पताका – 'क' पर देखा जा सकता है।

राष्ट्रीय मछुआ कल्याण योजनान्तर्गत समस्तीपुर जिला के लगूनियॉ सूर्यकंठ ग्राम के मछुआरों के आवास निर्माण हेतु विमुक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र उपलबध कराना।

उत्तर सामग्री – इस सम्बन्ध में जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, समस्तीपुर से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र सुलभ प्रसंग हेतु संलग्न है जिसे पताका – 'ख' पर देखा जा सकता है।

प्रस्तावित कुल 117 घरों में से 103 घरों का कार्य पूरा कर लिया गया है। जीविका की तालाश में गॉव से बाहर रहने, तथा कालान्तर में कतिपय लाभुकों की मृत्यु हो जाने के कारण कुल 10 घरों का कार्य अपूर्ण/अधूरा रहा। 4 घरों के लिये राशि विमुक्त नही की गई। अव्यवहृत राशि को यथा समय राजकोष मे जमा कर दी गई है।

सामुदायिक भवन का निर्माण विभागीय तौर पर पूर्ण कर लिया गया है।

(2) बेगुसराय जिला के गोधना ग्राम के मछुआरों के आवास निर्माण हेतु विमुक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना।

उत्तर सामग्री – इस संबंध में ज़िला. मंत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी बेगुसराय से प्राप्त प्रतिवेदन संलग्न है। जिसे सुलभ प्रसंग हेतु पताका 'ग' पर देखा जा सकता है।

जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बेगुसराय द्वारा निरीक्षण किया गया। प्रति आवास 34800/– रू0 की लागत से गोधना ग्राम में कुल 98 मछुआ आवास का निर्माण होना था। कुल राशि 27.25 लाख रूपये आवंटित करते हुये कनीय अभियंता के माध्यम से कार्य विभागीय तौर पर प्रारम्भ किया गया। कार्य के दौरान विभिन्न स्तरों से शिकायत आने पर कार्य बन्द कर दिया गया। कनीय अभियंता द्वारा दर्ज मापी पुस्तिका के आधार पर अवशेष बची 10.25 लाख रूपये कार्य सम्पादन हेतु समाहर्त्ता, बेगुसराय को उपलब्ध करा दी गई। समाहर्त्ता, बेगुसराय द्वारा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, वछवारा को राशि उपलब्ध कराते हुये आदेश दिया गया कि आवश्यकतानुसार राशि सीधे लाभुकों को दिया जाय। जिला मत्स्य पदाधिकारी, बेगुसराय द्वारा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी बछवारा से सम्पर्क करने का प्रयास किया गया। न्यायालय से संबंधित कार्यों में व्यस्तता के कारण सम्पर्क नहीं हो पाया। यद्यपि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, वछवारा द्वारा दूरभाष पर बताया गया कि वे शीघ्र प्रतिवेदन उपलब्ध करा देंगे।

स्थल जाँचोपरांत जिला मत्स्य पदाधिकारी, बेगुसराय से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार वर्त्तमान में मछुआ आवास की स्थिति निम्नवत है :

कुल स्वीकृत मछुआ आवास	–	98
निर्माण प्रारम्भ हुआ	–	80
पूर्ण मछुआ आवास	–	70
अपूर्ण	–	10

बैं० ड्रा० फा० नं० – 154 / 21.8.7

① [illegible] — 223979=00
~~(1)~~ Chalan No- 838/21.8.7

(2) " 839/21.8.07 — 4244510=00

(3) " 840/21.8.07 —
([illegible] के [illegible])
निदेशक पत्र — 4857336=00

9365825=00

19/9/12
[illegible]
[illegible] निदेशालय, बिहार
पटना।

ग्रो 178 01441=78	[illegible]	100,000.00	—	—	—	...			1,00,000.00
ग्रो 90 014474	[illegible] [illegible] 19 to 243		—	—	—	1,08,512.00			1,08,512.00
ग्रो 91 014475	[illegible] 244 to 263		—	—	—	98823.00			98823.00
ग्रो 92 014476	[illegible] 264, 265		—	—	—	24570.00			24570.00
"	[illegible] [illegible] 266 to 279.		—	—	—	35000.00			35000.00
ग्रो 93 014477	[illegible] 271 to 291		—	—	—	23842.00			23842.00
"	[illegible] 292 to 312		—	—	—	15340.00			15340.00
ग्रो 94	[illegible] 313 to 333		—	—	—	11492.00	—		11492.00
ग्रो 95	[illegible] 334 to 361		—	—	—	19209.00			19209.00
ग्रो 96	[illegible] 362 to 375		—	—	—	6347.00			6347.00
	Deposited in Try challan								
	838/21.8.07 [illegible] (२६)		—	—	—			223,990.00	223,990.00
	839/21.8.07 Bill no 187/96-97 [illegible]		—	—	—			424431.48	424431.48
	840/21.8.07 [illegible]		—	—	—	—		4597336.00	4897336.00
	कुल योग	100,000.00	—	—	—	343135.00		9365825	4898089[illegible]
	शेष :	3536.00	—	40.00		21452.00		6160105.68 12000.00 6948105.68	6485133.68 12000 6973134.68

21/8/07

0.00	114,520.00	15960796.16 ~~15472778.16~~	15175824.16 ~~15187824.16~~	
	108512.00	—	108512.00	
	98823.00	—	98823.00	
	95700.00	—	95700.00	
		—	76830.00	
	76230.00		100,000.00	
		108512.00	108512.00	
		98823.00	98823.00	
		24570.00	24570.00	
		35,000.00	35,000.00	
		23842.00	23842.00	
		15340.00	15340.00	
		11492.00	11492.00	
		19209.00	19209.00	
		6347.00	6347.00	
		10,000.00	10,000.00	
	10,000.00		12000.00	
	353135.00	353135.00	8,0[illegible]	
	364[illegible]	16325931.16 - 12000.00 16313931.16	16714094.16 12000.00 16782094.16	

रघुनन्दन चौधरी
मत्स्य निदेशक
बिहार, पटना

अनुसूची 53 प्रपत्र 186 एच । टी. सी. प्रपत्र-8
(देखें नियम 101 वि. को. भाग-1)

चालान नं.

चालान वार्फत नगद रुपया जो मुकाम .... के [illegible] इण्डिया में दाखिल किया जाय।

भेजने वाला भरेगा				[illegible] के अफसर या ट्रेजरी में भरेगा		
किसने दाखिल किया	नाम (या ओहदा) और पता उस आदमी का जिसकी तरफ से रुपया दाखिल किया जाय	भेजे जाने वाले रुपये का और हुक्म का (अगर कोई हो) पूरा ब्योरा।	रकम	[illegible] का नं	लेखा पदाधिकारी जिसके द्वारा रकम समायोजित की जायेगी	बैंक का हुक्म
नाम – श्री [illegible] दस्तखत – [illegible]	निशात अहमद मत्स्य निदेशक बिहार, पटना	[illegible] (16.12.[illegible] 18.2.16)	1976.00		[illegible]	इसी है तो लीजिये और रसीद दीजिये। रुपया दाखिल करने का हुक्म करने वाले अफसर का दस्तखत और तारीख
		जोड़-	1976.00			

सरकारी अफसर के जरिये बैंक में रुपया भेजे जाने की हालत में सिर्फ काम में लाया जायगा।

(लफजों में रुपया) [illegible] 04

रुपया मिला

ट्रेजरर — एकाउन्टेन्ट — तारीख 1976 — ट्रेजरी ऑफिसर

नोट - 1. ट्रेजरी में दाखिल किये [illegible] के दस्तखत की जरूरत नहीं [illegible] और ट्रेजरर के दस्तखत को [illegible] ट्रेजरी अफसर [illegible]

नोट - 2. दाखिल किये गये रकम [illegible]

नोट - 3. उन हालातों में जहाँ [illegible] बैंक का [illegible]

(701)

रामाशीष प्रकाशन, पटना-4

रुपया दाखिल करने वाले अफसर का दस्तखत और पूरा ओहदा तारीख

निशात अहमद
मत्स्य निदेशक

[illegible] हुक्म

[illegible] /एजेन्ट

एकाउन्टेन्ट [illegible] चाहिए।

[illegible] जायेगा।

रु. 26800.00 [illegible]

अनुसूची 53 प्रपत्र 186 एच । टी. सी. प्रपत्र-8
(देखें नियम 101 वि. को. भाग-1) [illegible]

चालान नं.

चालान वावत नगद रुपया जो मुकाम [illegible] के ट्रेजरी / सब ट्रेजरी / स्टेट/रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया में दाखिल किया जाय।

भेजने वाला भरेगा				महकमे के अफसर या ट्रेजरी में भरेगा		
किसने दाखिल किया	नाम (या ओहदा) और पता उस आदमी का जिसकी तरफ से रुपया दाखिल किया जाय	भेजे जाने वाले रुपये का और हुक्म का (अगर कोई हो) पूरा ब्यौरा।	रकम	हिसाब का मद	लेखा पदाधिकारी जिसके द्वारा रकम समायोजित की जायेगी	बैंक का हुक्म
नाम – [illegible] दस्तखत – [illegible]	निशात अहमद मत्स्य निदेशक बिहार, पटना	(1) 1st Batch Tokenkhas: 250×20 = 5000.00 (2) 30th Kakinada 250×32 – 8000.00 (3) 31th Kakinada 250×42 = 10,500/- (4) 2nd Batch Barrackpur 100×24 – 2400/- (5) 2nd Saltlake 100×9 = 900/- Total Rs. 26,800.00 [illegible]	26800/-	मुख्य शीर्ष - 0405 - मत्स्य पालन लघु शीर्ष - 102 - [illegible] उप शीर्ष - 0001 - [illegible] विपत्र कोड सं. R 0405001020001	महालेखाकार, बिहार, पटना	सही है ले लीजिये और रसीद दे दीजिये। रुपया दाखिल करने का हुक्म देने वाले अफसर का दस्तखत और पूरा ओहदा और तारीख निशात अहमद मत्स्य निदेशक बिहार, पटना
		जोड़-	26800.00			

सरकारी अफसर के जरिये बैंक में रुपया भेजे जाने की हालत में सिर्फ काम में लाया जायेगा।

(लफ्जों में रुपया) छब्बीस हजार आठ सौ रुपये

रुपया मिला

ट्रेजरर एकाउनटेन्ट तारीख ट्रेजरी ऑफिसर/एजेन्ट

नोट - 1. ट्रेजरी में दाखिल किये जाने वाले रुपये की हालत में 500/- रुपये से कम की रकम के लिए रसीदों पर ट्रेजरी अफसर के दस्तखत की जरूरत नहीं है सिर्फ एकाउन्टेन्ट और ट्रेजरर के दस्तखत की जरूरत है। लेकिन अविक्रय स्टाम्पों के लिए दिये हुये नकद रुपयों और चेकों के लिए रसीद पर खजाने ट्रेजरी अफसर का दस्तखत होना चाहिए।

नोट - 2. दाखिल किये गये रकम का ब्यौरा पृष्ठ पर दिया जाना चाहिए।

नोट - 3. उन हालातों में जहाँ सीधा बैंक में अमानत करने की इजाजत है वहाँ "हिसाब का मद" वाला खाना ट्रेजरी अफसर से जैसी हालत हो बैंक या खजाना फर्द के पर्दे पर भरा जायेगा

चालान नं.

.... के ट्रेजरी / ~~सब~~ ट्रेजरी / स्टेट/रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया में दाखिल किया जाय।

		महकमे के अफसर या ट्रेजरी में भरेगा		
... वाले रुपये का ... रकम का (अगर ... पूरा ब्योरा।	रकम	हिसाब का मद	लेखा पदाधिकारी जिसके द्वारा रकम समायोजित की जायेगी	बैंक का हुक्म
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	... लीजिये ... दीजिये। बैंक के अफसर का दस्तखत और पूरा ... तारीख ... बिहार, पटना
जोड़-	223979.00			

... की हालत में सिर्फ काम में लाया जायेगा।

ट्रेजरी ऑफिसर/एजेन्ट

तारीख

... कम की रकम के लिए रसीदों पर ट्रेजरी अफसर के दस्तखत की जरूरत नहीं है सिर्फ एकाउन्टेन्ट ... होना चाहिए। ... हुये नकद रुपयों और चेकों के लिए रसीद पर हमेशा ट्रेजरी अफसर ... होना चाहिए।

... का पद" वाला खाना ट्रेजरी अफसर से जैसी हालत हो ... भरा जायगा।

D.C. Bill No- 2/2005-06

Gram : FISHFED

Phones : 6956692, 6956992, 6956993

National Federation of Fishermen's Cooperatives Ltd.

7-A, Sarita Vihar Institutional Area
New Delhi-110044

Bill No 164/2001-2002
TV No 25/30.1.02

No. 1840

Date 12.2.2002

Received with thanks from मत्स्य निदेशालय, बिहार, पुराना सचिवालय, पटना (बिहार)

a sum of Rupees दो लाख अस्सी हजार मात्र)

on account of मछुआ [illegible] के बीमा की किस्त

by D.D./Cheque/~~M.O./Cash~~ No. 387622 dt. 8.1.2002

Rs. 2,80,000/-

12/2/2002
Sr. Tech. Assistant

Deputy Director
12/2/2002

Cheques accepted subject to realization.

NATIONAL FEDERATION OF FISHERMEN'S COOPERATIVES LTD.
7 Sarita Vihar Instituional Area, New Delhi-110044
Tel:011-6956692
011-6956992
Fax 011-6956993

FISHCOPFED/INSU/03/Premium/2002-03/ 124 20.05.2002

Director of Fisheries,
Department of Fisheries,
Government of Bihar,
Old Secretariat, Talab,
Bailly Road,
PATNA.

Subject: **Submission of official receipt(s) towards state share of insurance premium under the Centrally Sponsored Group Accident Insurance Scheme for Active Fishermen.**

Dear Sir,

While thankfully acknowledging the receipt of draft No. 387622 dated 30.01.02 towards state share of insurance premium in respect of 40,000 fishermen of your state I am directed to enclose herewith an official receipt No 4840 dated for 12.2.02 record.

Thanking you,

Yours faithfully,

(A.K. TIWARI)
Asstt. Director
For Managing Director

पत्रांक 762/

प्रेषक :- जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
समस्तीपुर ।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,
बिहार, पटना ।

मत्स्य/समस्तीपुर, दिनांक 17/7/2012

विषय :- राष्ट्रीय मछुआ कल्याण योजनान्तर्गत समस्तीपुर जिला के लगुनियाँ सूर्यकंठ ग्राम के मछुआरों के आवास निर्माण हेतु विमुक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने के संबंध में ।

प्रसंग :- भवदीय पत्रांक-964, दिनांक-04.07.2012 ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के अनुपालन में कुल 117 मछुआ आवास निर्माण हेतु विमुक्त राशि की उपयोगिता प्रमाण-पत्र की सूची संलग्न कर अग्रेतर कारवाई हेतु समर्पित ।

अनु०:- यथोचित ।

विश्वासभाजन
17/7/11
जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
समस्तीपुर ।
17.7.12
17.7.12

राष्ट्रीय मछुआ कल्याण योजनान्तर्गत समस्तीपुर जिला के लगुनियां सूर्यकंठ ग्राम के मछुआरों के आवास निर्माण हेतु विमुक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र के संबंध में।

क्र.सं.	अनु0	लाभुक का नाम	प्राप्त राशि	कार्य की स्थिति	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	1	श्री कन्हाई सहनी	39865.00	कार्य पूर्ण	
2	2	श्री प्रभू सहनी	39900.00	कार्य पूर्ण	
3	3	श्री लाल सरीफ सहनी	39710.00	कार्य पूर्ण	
4	4	श्री बाबू लाल सहनी	39953.00	कार्य पूर्ण	
5	6	श्री रामबली सहनी	39923.00	कार्य पूर्ण	
6	7	श्री फुलेन्द्र सहनी	39915.00	कार्य पूर्ण	
7	8	श्री शिव दयाल सहनी	39710.00	कार्य पूर्ण	
8	9	श्री दिनेश सहनी	39915.00	कार्य पूर्ण	
9	10	श्री रामाश्रय सहनी	39421.00	कार्य पूर्ण	
10	11	श्री उपेन्द्र सहनी	38735.00	कार्य पूर्ण	
11	12	श्री मदनु सहनी	39780.00	कार्य पूर्ण	
12	13	श्री गुंजन सहनी	39915.00	कार्य पूर्ण	
13	16	श्री ईश्वर सहनी	39800.00	कार्य पूर्ण	
14	17	श्री मेघन सहनी	39830.00	कार्य पूर्ण	
15	18	श्री जेठू सहनी	39783.00	कार्य पूर्ण	
16	19	श्री बालेश्वर सहनी	39390.00	कार्य पूर्ण	
17	20	श्री रामप्रगास सहनी	39885.00	कार्य पूर्ण	
18	21	श्री राम सजिबन सहनी	40000.00	कार्य पूर्ण	
19	25	श्री असित कु0 सहनी	39826.00	कार्य पूर्ण	
20	26	श्री रामश्रेष्ठ सहनी	39854.00	कार्य पूर्ण	
21	28	श्री राजेन्द्र सहनी	39497.00	कार्य पूर्ण	
22	29	श्री रामलाल सहनी	39933.00	कार्य पूर्ण	
23	30	श्री बिन्देश्वर सहनी	39880.00	कार्य पूर्ण	
24	31	श्री गनौर सहनी	39498.00	कार्य पूर्ण	
25	32	श्री सुरेन्द्र सहनी	39885.00	कार्य पूर्ण	
26	33	श्री गिरमल सहनी	39314.00	कार्य पूर्ण	
27	34	श्री महेन्द्र सहनी	39800.00	कार्य पूर्ण	
28	38	श्री रामू सहनी	39303.00	कार्य पूर्ण	
29	40	श्री हरि सहनी	39888.00	कार्य पूर्ण	
30	41	श्री विनोद कुमार सहनी	39921.00	कार्य पूर्ण	
31	42	श्री नथुनी सहनी	39868.00	कार्य पूर्ण	

क्र.सं.	अनु0	लाभुक का नाम	प्राप्त राशि	कार्य की स्थिति	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
32	43	श्री फेकन सहनी	39741.00	कार्य पूर्ण	
33	44	श्री नन्दन सहनी	39803.00	कार्य पूर्ण	
34	45	श्री ननकी सहनी	39791.00	कार्य पूर्ण	
35	47	श्री मोही सहनी	39900.00	कार्य पूर्ण	
36	48	श्री लखन सहनी	39790.00	कार्य पूर्ण	
37	49	श्री वसंत सहनी	39950.00	कार्य पूर्ण	
38	50	श्री बतहु सहनी	39775.00	कार्य पूर्ण	
39	52	श्री रामदयाल सहनी	39890.00	कार्य पूर्ण	
40	53	श्री राम प्रसाद सहनी	39826.00	कार्य पूर्ण	
41	54	श्री ननकी सहनी	39823.00	कार्य पूर्ण	
42	55	श्री संजय सहनी	39801.00	कार्य पूर्ण	
43	56	श्री जितेन्द्र कुमार सहनी	39821.00	कार्य पूर्ण	
44	57	श्री राज कुमार सहनी	39887.00	कार्य पूर्ण	
45	58	श्री इन्द्रदेव सहनी	39897.00	कार्य पूर्ण	
46	59	श्री परमेश्वर सहनी	39484.00	कार्य पूर्ण	
47	60	श्री अनिल कुमार सहनी	39841.00	कार्य पूर्ण	
48	61	श्री धीणा सहनी	39840.00	कार्य पूर्ण	
49	62	श्री रामा सहनी	39883.00	कार्य पूर्ण	
50	63	श्री सीफी सहनी	39865.00	कार्य पूर्ण	
51	64	श्री कैलाश सहनी	39897.00	कार्य पूर्ण	
52	66	श्री सरयुग सहनी	39786.00	कार्य पूर्ण	
53	67	श्री रामू सहनी	39803.00	कार्य पूर्ण	
54	68	श्री रामप्रताप सहनी	39860.00	कार्य पूर्ण	
55	69	श्री गनौर सहनी	39800.00	कार्य पूर्ण	
56	70	श्री जगदीश सहनी	39923.00	कार्य पूर्ण	
57	73	श्री संजय सहनी	39875.00	कार्य पूर्ण	
58	74	श्री नन्द लाल सहनी	39818.00	कार्य पूर्ण	
59	75	श्री योगेन्द्र सहनी	39917.00	कार्य पूर्ण	
60	77	श्री मनोज कुमार सहनी	39878.00	कार्य पूर्ण	
61	79	श्री जागो सहनी	39843.00	कार्य पूर्ण	
62	80	श्री रामप्रीत सहनी	39936.00	कार्य पूर्ण	
63	82	श्री केवल सहनी	39895.00	कार्य पूर्ण	
64	83	श्री रामलाल सहनी	39845.00	कार्य पूर्ण	
65	86	श्री युगेश्वर सहनी	39890.00	कार्य पूर्ण	
66	88	श्री प्रभू सहनी	39824.00	कार्य पूर्ण	

क्र.सं	अनु0	लाभुक का नाम	प्राप्त राशि	कार्य की स्थिति	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
67	89	श्री रकटू सहनी	39824.00	कार्य पूर्ण	
68	90	श्री मोहित सहनी	39848.00	कार्य पूर्ण	
69	91	श्री रामवृक्ष सहनी	39910.00	कार्य पूर्ण	
70	92	श्री पलटी सहनी	39897.00	कार्य पूर्ण	
71	93	श्री राजकुमार सहनी	39790.00	कार्य पूर्ण	
72	95	श्री निरस सहनी	39780.00	कार्य पूर्ण	
73	97	श्री सिया सहनी	39837.00	कार्य पूर्ण	
74	98	श्री रामकुमार सहनी	39857.00	कार्य पूर्ण	
75	99	श्री प्रभू सहनी	39880.00	कार्य पूर्ण	
76	100	श्री विन्दा सहनी	39894.00	कार्य पूर्ण	
77	101	श्री राजा सहनी	39834.00	कार्य पूर्ण	
78	102	श्री घन्टू सहनी	39749.00	कार्य पूर्ण	
79	103	श्री सुरेन्द्र सहनी	39860.00	कार्य पूर्ण	
80	104	श्री सेखो सहनी	39852.00	कार्य पूर्ण	
81	106	श्री सुकुल सहनी	39895.00	कार्य पूर्ण	
82	107	श्री हरिन्द्र सहनी	39844.00	कार्य पूर्ण	
83	108	श्री तिवारी सहनी	39900.00	कार्य पूर्ण	
84	109	श्री विनोद सहनी	39980.00	कार्य पूर्ण	
85	110	श्री गरीबन सहनी	39810.00	कार्य पूर्ण	
86	111	श्री सीताराम सहनी	39823.00	कार्य पूर्ण	
87	112	श्री चन्दर सहनी	39790.00	कार्य पूर्ण	
88	114	श्री सुखदेव सहनी	39890.00	कार्य पूर्ण	
89	115	श्री केदार सहनी	39300.00	कार्य पूर्ण	
90	116	श्री बालेश्वर सहनी	39842.00	कार्य पूर्ण	
91	117	श्री बिन्दी सहनी	39725.00	कार्य पूर्ण	
92	22	श्री प्रेम सहनी	39842.00	कार्य पूर्ण	
93	85	श्री कुशेश्वर सहनी	40000.00	कार्य पूर्ण	
94	35	श्री रंजीत सहनी	40000.00	कार्य पूर्ण	
95	84	श्री राजू सहनी (नकू सहनी)	40000.00	कार्य पूर्ण	
96	94	श्री शम्भु सहनी	40000.00	कार्य पूर्ण	
97	105	श्री ब्रिन्देव सहनी	40000.00	कार्य पूर्ण	
98	15	श्री सुरेश सहनी	40000.00	कार्य पूर्ण	
99	5	श्री प्रेमचन्द्र सहनी	40000.00	कार्य पूर्ण	
100	78	श्री राम बिलास सहनी	40000.00	कार्य पूर्ण	
101	81	श्री कारी सहनी	40000.00	कार्य पूर्ण	

क्र.सं.	अनु0	लाभुक का नाम	प्राप्त राशि	कार्य की स्थिति	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
102	87	श्री राजू सहनी	40000.00	कार्य पूर्ण	
103	113	श्री राजेश सहनी	40000.00	कार्य पूर्ण	
104	23	श्री अमरजीत सहनी	10000.00	कुर्सी तक	गाँव से बाहर रहने के कारण प्रभावित
105	24	श्री लालो सहनी	20000.00	खिड़की लेबल तक	
106	36	श्री दिनेश सहनी	20000.00	खिड़की लेबल तक	गाँव से बाहर रहने के कारण प्रभावित
107	46	श्री सुरेश सहनी	20000.00	खिड़की लेबल तक	गाँव से बाहर
108	37	श्री हिन्दो सहनी	40000.00	छत ढ़लाई की स्थिति में	गाँव से बाहर
109	39	श्री लालू सहनी	40000.00	छत ढ़लाई की स्थिति में	गाँव से बाहर
110	51	श्री हरि सहनी	40000.00	छत ढ़लाई की स्थिति में	गाँव से बाहर
111	65	श्री नारायण सहनी	40000.00	छत ढ़लाई की स्थिति में	गाँव से बाहर
112	71	श्री उमाशंकर सहनी	40000.00	छत ढ़लाई की स्थिति में	गाँव से बाहर
113	27	श्री रामबाबू सहनी	30000.00	छत ढ़लाई की स्थिति में	कार्य अवधि में मृत्यु
114	14	श्री गोपाल सहनी	0.00		मृत्यु
115	96	श्री सौखी सहनी	0.00		मृत्यु
116	72	श्री विरो सहनी	0.00		गाँव से बाहर
117	76	श्री कृष्ण सहनी	0.00		गाँव से बाहर
		कुल योग	4401748.00		

14.7.12

कार्यालय जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, समस्तीपुर

माननीय लोक लेखा समिति बिहार विधान सभा हेतु
प्रतिवेदन

(i) लगुनिया सूर्यकंठ में सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य पूर्ण।

(ii) एकीकृत सी. सी. डी. प्रकरण अन्तर्गत लगुनियाँ सूर्यकंठ के मछुआ आवास निर्माण संबंधी शेष बची राशि निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना को चेक द्वारा समर्पित की जा चुकी है।

(a) चेक सं० "911242", दिनांक - 26.08.2010 (SBI)

(b) चेक सं० "911243", दिनांक - 26.08.2010 (SBI)

विश्वासभाजन
ह0/-
जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
समस्तीपुर

ज्ञापांक 970 दिनांक 18/09/2012

प्रतिलिपि, - निदेशक मत्स्य बिहार, पटना की सेवा में समर्पित।

18/9/12
जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
समस्तीपुर।

पत्रांक 475 /
प्रेषक
जिला मत्स्य पदाधिकारी
सह
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
बेगूसराय

सेवा में
निदेशक मत्स्य
बिहार पटना   दिनांक 15/9/12 /

विषय : राष्ट्रीय मछुआ आवास योजना के अन्तर्गत बेगूसराय जिले के ओधना ग्राम के मछुआरों के आवास निर्माण हेतु विमुक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग : भवदीय पत्रांक 965 दिनांक 4-07-2012

महाशय

उपरोक्त प्रसंगाधीन विषयक के संदर्भ में सादर सूचित करना है कि मेरे द्वारा दिनांक 7-8-2012 को बछवारा अंचल के ओधना ग्राम का स्थल निरीक्षण किया गया। वहाँ के पूर्व सरपंच एवं अन्य लाभुक के साथ पूर्ण मछुआ आवास एवं अपूर्ण मछुआ आवास का स्थल निरीक्षण किया गया। इस संबंध में वहाँ उपस्थित लाभुक मछुआ एवं जनता के साथ विस्तृत पूछताछ एवं चर्चा की गई। वार्ता के फलस्वरूप जो बातें आयी वे इस प्रकार है।

ओधना गाँव में कुल 28 मछुआ आवास वर्ष 08-09 में स्वीकृत हुई थी। प्रत्येक घर हेतु 34,000.00 की राशि निर्धारित थी। विभाग के द्वारा वहाँ एक कनीय अभियंता की प्रतिनियुक्ति की गई थी जिन्हें मकान बनवाने की जवाबदेही दी गई थी। काम विभागीय स्तर से संपादित होनी थी। कुल राशि लगभग 35 लाख आवंटित थी। कनीय अभियंता के द्वारा मकान निर्माण का काम प्रारंभ हुआ। कई आवास पूर्ण हुए जबकि अधिकांश अधूरे ही थे। विभिन्न स्तरों पर शिकायत आने पर विभागीय निर्माण कार्य बंद कर दी गई। प्रतिनियुक्त कनीय अभियंता द्वारा मापी पुस्तिका में दर्ज लाभुकवार कुल खर्च राशि को विभाग द्वारा जिला पदाधिकारी बेगूसराय को उपलब्ध कराया गया। प्रावधान किया गया कि लाभुक कुल खर्च राशि प्रखंड विकास पदाधिकारी बछवारा से प्राप्त कर स्वयं आवास [illegible] पूर्ण करें। लगभग 10 लाख रुपया जिला से प्रखंड विकास पदाधिकारी बछवारा को प्राप्त हुआ। 27 लाभुक प्रखंड से कुल खर्च राशि प्राप्त कर अपना शेष निर्माण प्रारंभ किया

वर्तमान में यहाँ मछुआ आवास की स्थिति निम्नवत है।

कुल स्वीकृत मछुआ आवास → 98
निर्माण पूर्ण हुआ → 80
अधूरा मछुआ आवास → 40
[illegible] → 10

जिला पदाधिकारी बेगूसराय को विभाग द्वारा दी गई राशि करीब 10 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 303 दिनांक 13-5-2013 द्वारा पत्र जिला पदाधिकारी बेगूसराय को दिया गया। उपयोगिता प्रमाण पत्र अभी तक प्राप्त नहीं हो सका है। [illegible] से वापस होने के क्रम में मैं बछवारा प्रखंड विकास पदाधिकारी कार्यालय गया। आवश्यक कार्यों से पटना में रहने के कारण उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रखंड विकास पदाधिकारी बछवारा को ही देना है। दूरभाष पर मैं उनके सम्पर्क में हूँ। उनके द्वारा कहा गया है कि इसी माह में यूसी प्रतिवेदन जिला को भेज दिया जाएगा।

जिला मत्स्य पदाधिकारी
सह
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
बेगूसराय

संख्या [illegible]-12([illegible]-II)/2012-13/147
No

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग
कार्यालय, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना-800 001
Indian Audit & Accounts Department
Office of the Principal Accountant General (Audit), Bihar
Birchand Patel Marg, Patna-800 001

दिनांक/Date : 06/03/2013

सेवा में,

उप सचिव
बिहार विधान सभा,
पटना।

विषय :- लोक लेखा समिति के प्रारूप प्रतिवेदन सं0 503, 504, 505, 506, 507, 508, 510 में सन्निहित आँकड़ों का सम्परीक्षण।

प्रसंग :- आपका पत्र सं.- (1) 2लो.ले.स.-26/13-167/वि.स.,
(2) 2लो.ले.स.- 27/13-168/वि.स.,
(3) 2लो.ले.स.-28/13-169/वि.स.,
(4) 2लो.ले.स.-29/13-170/वि.स.,
(5) 2लो.ले.स.-30/13-171/वि.स.
दिनांक 01.03.2013।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्रों के संबंध में कहना है कि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल एवं राजस्व प्राप्तियाँ) की परिवहन विभाग, गृह विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग एवं शिक्षा विभाग से संबंधित विभिन्न वर्षों की कंडिकाओं पर लोक लेखा समिति का प्रारूप प्रतिवेदन सं. 503, 504, 505, 506, 507, 508 एवं 510 में आवश्यक सुधार तथा संपरीक्षण के पश्चात् मूल रूप में वापस किया जा रहा है।

अनुलग्नकः- प्रासंगिक पत्रों के अनुलग्नकों की मूल प्रति।

विश्वासभाजन

06/03/13
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
बिहार, पटना

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित ।
2013